सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

NATIONAL FINANCIAL REPORTING AUTHORITY

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

विषय–सूची

अध्याय – I

1. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के बारे मे 1
   1. क्रमिक विकास और पृष्ठभूमि 1
   2. अधिदेश और कार्यक्षेत्र 1
   3. एनएफआरए के कार्य और शक्तियाँ 2
   4. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का चार्टर 3
   5. बुनियादी मूल्य 3
   6. संगठनात्मक संरचना 4

अध्याय – II

2. प्रमुख परिणाम और उपलब्धियाँ 5
   1. अनुशासनात्मक आदेश 5
   2. फर्म–व्यापक लेखा परीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण 10
   3. परिपत्र और परामर्श 13
   4. अधिसूचना के लिए अनुशंसित व्यावसायिक मानक 13

अध्याय – III

3. प्रमुख हितधारकों के साथ संवाद 16
   1. उच्च–गुणवत्ता वाले वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के लिए एनएफआरए आउटरीच और वकालत 16
   2. उद्योग, स्वतंत्र निदेशकों और लेखा परीक्षा पेशे के साथ संवाद 17
   3. लेखा परीक्षा समिति–लेखा परीक्षक संपर्क सीरीज – स्टाफ सीरीज 22
   4. भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रम 22
   5. जोखिम आधारित दृष्टिकोण पर एनएफआरए के वेबिनार 23
   6. एनएफआरए और आई आई सी ए द्वारा लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम 23
   7. एनएफआरए– आई आईटी कानपुर का संयुक्त हैकथॉन 24
   8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भागीदारी 25

अध्याय – IV

4. संसाधन प्रबंधन 28
   1. वित्त और बजट संबंधी जानकारी 28
   2. मानव संसाधन प्रबंधन 28
   3. डेटा प्रबंधन और आईटी पहल 30
   4. एनएफआरए द्वारा की गई अन्य मानव संसाधन गतिविधियाँ 31

अध्याय – V

5. सतर्कता प्रबंधन 33

अध्यक्ष महोदय की कलम से

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

यह मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है कि मैं वर्ष 2024–25 के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

पिछले एक वर्ष में, एनएफआरए ने लेखांकन और लेखा परीक्षा के एक स्वतंत्र नियामक के रूप में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए दृढ़तापूर्वक कार्य करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग में विश्वास को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करते हुए अपनी भूमिका को और सुदृढ़ किया है। वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता बनाए रखने में लेखा परीक्षा मानक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मानक सुनिश्चित करते हैं कि लेखा परीक्षाएँ निरंतरता और व्यावसायिकता के साथ की जाएँ जिससे हितधारकों का विश्वास मजबूत हो। प्राधिकरण ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने पर विचार हेतु भारत सरकार को 40 लेखा परीक्षा मानकों के एक व्यापक सेट की अनुशंसा की है, जिससे भारतीय लेखा परीक्षा नियामक ढाँचे को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ और अधिक निकटता से जोड़ा जा सके। इस प्राधिकरण ने सार्वजनिक हित से जुड़े प्रमुख मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई, फर्म–व्यापी लेखा परीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण, और लेखा परीक्षा विफलताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए परामर्श और परिपत्र जारी करने के माध्यम से महत्वपूर्ण कदम उठाए है।

एनएफआरए ने आउटरीच, मार्गदर्शन और सहयोग पर समान रूप से ज़ोर दिया है। प्राधिकरण ने उन हितधारकों के साथ व्यापक रूप से अपने आप को जोड़ा है जिनमें वित्तीय रिपोर्टिंग में प्रणालीगत जवाबदेही को मज़बूत करने के लिए लेखा परीक्षा समितियां, स्वतंत्र निदेशक, पेशेवर निकाय, शिक्षाविद और अंतर्राष्ट्रीय नियामक शामिल हैं। आईएफआईएआर, पीसीएओबी और आसियान नियामक मंचों जैसे वैश्विक मंचों में एनएफआरए की भागीदारी ने न केवल हमारे दृष्टिकोण को समृद्ध किया है, बल्कि वैश्विक लेखा परीक्षा विनियमन को आकार देने में भारत के बढ़ते नेतृत्व में भी योगदान दिया है।

आगे बढ़ते हुए, एनएफआरए अपने अधिदेश के अनुरूप कार्य करना जारी रखेगा और क्षमता निर्माण, हितधारक जुड़ाव और प्रणालीगत सुधारों पर ज़ोर देगा। हमारा दृष्टिकोण एक पारदर्शी, विश्वसनीय और निवेशक–अनुकूल वित्तीय रिपोर्टिंग पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है जो भारत के तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा दे और हमारे बाजारों में वैश्विक विश्वास को बढ़ाए।

मैं इस वर्ष के दौरान एनएफआरए के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और वित्तीय रिपोर्टिंग में जन विश्वास और जवाबदेही की नींव को मज़बूत करने के लिए उनके निरंतर समर्पण की आशा करता हूँ।

(नितिन गुप्ता)
अध्यक्ष, एनएफआरए

31.03.2025 तक प्राधिकरण की संरचना

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य शामिल हैं।

कार्यकारी निकाय में अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य शामिल

डॉ अजय भूषण पांडेय
अध्यक्ष, एनएफआरए
1 अप्रैल 2022 को पदभार ग्रहण किया

डॉ. पी. के. तिवारी
पूर्ण कालिक सदस्य एनएफआरए
28 मार्च 2022 को पदभार ग्रहण किया

सुश्री स्मिता झिंगरन
पूर्ण कालिक सदस्य एनएफआरए
19 अप्रैल 2022 को पदभार ग्रहण किया

दिनांक 31.03.2025 को एनएफआरए के अंशकालिक सदस्य थेः

1. श्री इंद्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव – कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)
2. श्री आनंद मोहन बजाज, उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) का कार्यालय।
3. सुश्री सुधा बालकृष्णन, मुख्य वित्तीय अधिकारी – भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)।
4. श्री प्रमोद राव, कार्यकारी निदेशक – भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)।
5. प्रोफेसर आर. नारायण स्वामी, पूर्व वित्त एवं लेखा संकाय, आईआईएम, बंगलूर ।
6. प्रोफेसर संजय कल्लापुर, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), हैदराबाद में लेखा के प्रोफेसर।
7. अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई)।
8. अध्यक्ष, लेखा मानक बोर्ड – भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई)।
9. अध्यक्ष, लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानक बोर्ड – भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई)।

अध्याय – I

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के बारे मे

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) एक वैधानिक निकाय है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के तहत 1 अक्टूबर 2018 को अधिसूचित किया गया था। एनएफआरए का मुख्य उद्देश्य लेखांकन और लेखा परीक्षा के उच्च–गुणवत्ता मानकों को स्थापित करके और कंपनियों तथा निगमित निकायों द्वारा निष्पादित लेखांकन कार्यों और लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखा परीक्षा कार्यों की प्रभावी निगरानी करके सार्वजनिक हित और निवेशकों, लेनदारों और कंपनियों या निगमित निकायों से जुड़े अन्य लोगों के हितों की रक्षा करना है।

राजपत्र अधिसूचना पढ़ने के लिए स्कैन करें

1. क्रमिक विकास और पृष्ठभूमि

विभिन्न मंचों पर यह अनुभव किया गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के तहत प्रदत्त मौजूदा नियामक तंत्र, इस पेशे के स्व–नियमन से उत्पन्न चुनौतियों के कारण, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशेवरों के बीच आवश्यक अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखने में असमर्थ रहा था। वित्त–कंपनी विधेयक, 2009 पर स्थायी समिति ने लेखा परीक्षकों की भूमिका पर चर्चा करते हुए, एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा नियामक की स्थापना करने की आवश्यकता पर भी विचार किया। इसके अलावा, कंपनी कानून समिति की रिपोर्ट, 2016 ने एनएफआरए की स्थापना से पहले इस पेशे पर असंतोषजनक निगरानी को उजागर किया।

मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस. सुकुमार बनाम सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान एवं अन्य के मामले में 23 फरवरी, 2018 के अपने निर्णय में कहा कि भारत संघ को सरबेन्स–ऑक्सले अधिनियम, 2002 और अमेरिका के डोड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट सुधार एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2010 की तर्ज पर लेखा परीक्षकों के पेशे की निगरानी के लिए उपयुक्त कानून और तंत्र पर विचार करना चाहिए।

इसलिए, स्व–नियामक संगठनों से स्वतंत्र नियामक एवं निरीक्षण निकाय की ओर बदलाव की वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप, संसद ने, उचित विचार–विमर्श के बाद और विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अंतर्गत, एनएफआरए की स्थापना के साथ एक स्वतंत्र नियामक निकाय का गठन किया।

2. अधिदेश और कार्यक्षेत्र

एनएफआरए का उद्देश्य एनएफआरए नियम 2018 के नियम 4(1) में निहित है, जिसके अनुसार प्राधिकरण, लेखांकन और लेखा परीक्षा के उच्च गुणवत्ता मानकों की स्थापना करके और कंपनियों एवं निगमित निकायों द्वारा निष्पादित लेखांकन कार्यों तथा लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखा परीक्षा कार्यों की प्रभावी निगरानी करके, एनएफआरए नियम 2018 के नियम 3 के अंतर्गत शासित कंपनियों या निगमित निकायों से जुड़े निवेशकों, ऋणदाताओं और अन्य लोगों के सार्वजनिक हितों और हितों की रक्षा करेगा। एनएफआरए नियम 2018 के नियम 7, 8 और 9, एनएफआरए की निगरानी, समीक्षा और निरीक्षण कार्यों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करते हैं।

एनएफआरए नियम 2018 पढ़ने के लिए स्कैन करें

एनएफआरए नियम 2018 के नियम 3 में कंपनियों के उस वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है जिन पर एनएफआरए का अधिकार क्षेत्र है। नियम में कहा गया है कि एनएफआरए को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप–धारा (2) के अंतर्गत लेखा मानकों और लेखा परीक्षा मानकों के साथ निगरानी और प्रवर्तन के अनुपालन तथा सेवा की गुणवत्ता की निगरानी या ऐसी धारा की उप–धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित कंपनियों और निगमित निकायों के लेखा परीक्षकों की जाँच करने का अधिकार होगा, अर्थात्: –

(क) वे कंपनियाँ जिनकी प्रतिभूतियाँ भारत या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं;

(ख) असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियाँ जिनकी भुगतान पूँजी पाँच सौ करोड़ रुपये से कम न हो या जिनका वार्षिक कारोबार एक हज़ार करोड़ रुपये से कम न हो या जिनके पास कुल मिलाकर बकाया ऋण, डिबेंचर और जमा राशियाँ कम से कम पाँच सौ करोड़ रुपये हों ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को;

(ग) बीमा कंपनियाँ, बैंकिंग कंपनियाँ, विद्युत उत्पादन या आपूर्ति में लगी कंपनियाँ, उस समय प्रवृत्त किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित कंपनियाँ या अधिनियम की धारा 1 की उप–धारा (4) के खंड (ख), (ग), (घ), (च) और (छ) के अनुसार किसी अधिनियम द्वारा निगमित निकाय;

(घ) कोई निगमित निकाय या कंपनी या व्यक्ति, या निगमित निकायों या कंपनियों या व्यक्तियों का कोई वर्ग, जो जनहित में केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण को संदर्भित किया गया हो; और

(च) भारत के बाहर निगमित या पंजीकृत कोई निगमित निकाय, जो खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट भारत में निगमित या पंजीकृत किसी कंपनी या निगमित निकाय की सहायक या सहयोगी कंपनी है, यदि ऐसी सहायक या सहयोगी कंपनी की आय या निवल संपत्ति, खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या निगमित निकाय की समेकित आय या समेकित निवल संपत्ति के बीस प्रतिशत से अधिक है।

3. एनएफआरए के कार्य और शक्तियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा (2) के अनुसार, वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण–

(क) कंपनियों या कंपनियों के वर्ग या उनके लेखा परीक्षकों द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, अपनाए जाने हेतु लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों और मानकों के निर्माण और निर्धारण पर केंद्र सरकार को सिफारिशें करेगा;

(ख) निर्धारित तरीके से लेखांकन मानकों और लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन करेगा;

(ग) ऐसे मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने से संबद्ध व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता की देखरेख करना, और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक उपाय सुझाना तथा ऐसे अन्य संबंधित मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं; और

(घ) खंड (क), (ख) और (ग) से संबंधित ऐसे अन्य कार्य करना जो निर्धारित किए जा सकते हैं। एनएफआरए–

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा (4) के अनुसार, उस समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण–

(क) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अंतर्गत पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के किसी सदस्य या फर्म द्वारा किए गए व्यावसायिक या अन्य कदाचार के मामलों की, स्वप्रेरणा से या केंद्र सरकार द्वारा उसे भेजे गए संदर्भ पर, ऐसी श्रेणी के निगमित निकायों या व्यक्तियों के लिए, ऐसी रीति से, जैसाकि निर्धारित की जा सकती है, जांच करने की शक्ति रखता है:

बशर्ते कि कोई अन्य संस्थान या निकाय ऐसे कदाचार के मामलों में कोई कार्यवाही आरंभ या जारी नहीं रखेगा जहाँ राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने इस धारा के अंतर्गत जाँच आरंभ की हो;

(ख) निम्नलिखित मामलों के संबंध में, किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत सिविल न्यायालय में निहित शक्तियों के समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात्: –.

(i) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट स्थान और समय पर लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुतीकरण;

(ii) व्यक्तियों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उनकी जाँच करना;

(iii) खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति की किसी भी बही, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का किसी भी स्थान पर निरीक्षण करना;

(iv) गवाहों या दस्तावेजों की जाँच के लिए कमीशन जारी करना;

(ग) जहाँ व्यावसायिक या अन्य कदाचार सिद्ध हो जाता है, वहाँ निम्नलिखित के लिए आदेश देने की शक्ति होगी–

(क) जुर्माना लगाना –

(i) व्यक्तियों के मामले में एक लाख रुपये से कम नहीं, किन्तु जो प्राप्त शुल्क है उसके पाँच गुना तक हो सकता है; और

(ii) फर्मों के मामले में पाँच लाख रुपये से कम नहीं, किन्तु जो प्राप्त शुल्क है उसके दस गुना तक हो सकता है;

(ख) सदस्य या फर्म को निम्न से वर्जित करना –

(i) लेखा परीक्षक या आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने या किसी कंपनी या निगमित निकाय के वित्तीय विवरणों या कार्यों और गतिविधियों के आंतरिक लेखा–परीक्षण के संबंध में कोई लेखा–परीक्षण करने; या

(ii) धारा 247 के अंतर्गत उपबंधित किसी भी मूल्यांकन को, न्यूनतम छह महीने की अवधि या राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित अवधि के लिए जो दस वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण– इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "पेशेवर या अन्य कदाचार" का वही अर्थ होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22 के अंतर्गत दिया गया है।

4. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का चार्टर

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करते हुए एक चार्टर अपनाया है, जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई हैं:

(क) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का उद्देश्य भारत में सभी कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है।

(ख) कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता का मापन और मूल्यांकन अनिवार्य रूप से कानून और वैधानिक रूप से अधिसूचित लेखा मानकों और लेखा परीक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण सभी प्रकार की जनहित इकाइयों (पीआईई) और सभी आकार की लेखा परीक्षा फर्मों में कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग में निरंतर सुधार के लिए प्रयास करेगा।

(घ) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का लक्ष्य ईमानदारी, उद्योग और क्षमता के लिए विख्यात संगठन बनना है।

(च) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लिए काम करने वाले व्यक्ति उच्च स्तरीय सत्यनिष्ठा के साथ उच्चतम मानकों का पालन करेंगे, उनके पास कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में बदलाव लाने की दूर दृष्टि होगी, और अपने काम के प्रति उच्च स्तर की पहल और अथक प्रयासों की प्रवृत्ति का प्रदर्शित करेंगे।

5. बुनियादी मूल्य

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के बुनियादी मूल्य इस प्रकार हैं:

(क) वस्तुनिष्ठता – सदस्यों या कर्मचारियों की ओर से कोई व्यक्तिपरक कार्रवाई नहीं, किसी मामले में पूर्व–कल्पित निष्कर्ष या किसी भी मामले में पूर्व–निर्णय के सभी तथ्यों/विचारों/राय के प्रति खुलापन।

(ख) सत्यनिष्ठा – सभी मामलों/व्यक्तियों/फर्मों में, बहुमानकों का अभाव और समान/समान स्थिति वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार।

(ग) निष्पक्षता – बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कार्यों का निर्वहन।

(घ) स्वतंत्रता – सभी हितधारकों से समान दूरी।

(च) सद् व्यवहार– विशेष रूप से भविष्य के लाभ के लिए अनुचित बोझ नहीं डालना।

(छ) पारदर्शिता– निष्पक्ष और खुली प्रक्रियाएं।

चित्र– 1 : एनएफआरए के बुनियादी मूल्य

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की कार्यप्रणाली हमेशा व्यापार करने में आसानी और गति को बढ़ावा देने की आवश्यकता के प्रति सचेत रहेगी और हमेशा समग्र जनहित से निर्देशित होगी, तथा इसके सभी कार्य इसके कानूनी अधिदेश के अंतर्गत ही होंगे।

6. संगठनात्मक संरचना

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का तरीका और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2018 के अनुसार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे: –

क) अध्यक्ष।

ख) तीन पूर्णकालिक सदस्य, और

ग) नौ अंशकालिक सदस्य।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा (3 ख) के अनुसार, सभी निगरानी, निरीक्षण, अधिनिर्णय और प्रवर्तन कार्य कार्यकारी निकाय द्वारा किए जाते हैं, जिसमें अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य शामिल होते हैं। हालांकि, कंपनियों या कंपनियों के वर्ग या उनके लेखा परीक्षकों द्वारा अपनाने के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों और मानकों के निर्माण और निर्धारण पर केंद्र सरकार को सिफारिशें करने की जिम्मेदारी पूर्णतः प्राधिकरण को सौंपी गई है, जिसमें कार्यकारी निकाय और अंशकालिक सदस्य शामिल हैं।

अध्याय – II

प्रमुख परिणाम और उपलब्धियाँ

1. अनुशासनात्मक आदेश

वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने सार्वजनिक हित की इकाइयों (पीआईई) के लेखा परीक्षकों के संबंध में व्यावसायिक या अन्य कदाचार के लिए 23 अनुशासनात्मक आदेश जारी किए, जो व्यापक जनहित में थे। इनमें कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अन्य संगठनों द्वारा एनएफआरए को भेजे गए मामलों की जाँच शामिल थी, जिसमें एनएफआरए द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए मामले भी शामिल थे। जहाँ लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में गंभीर कमी पाई गई, उन मामलों में कार्रवाई की गई जिसमें समूह लेखा परीक्षाएँ भी शामिल थीं। कई मामलों में, एनएफआरए ने लेखा परीक्षकों द्वारा कानून में अपनी ज़िम्मेदारियों की गंभीर कमियाँ और समझ की कमी और लेखा परीक्षकों द्वारा मानकों के अनुचित अनुप्रयोग का अवलोकन किया, जिससे निवेशक, ऋणदाता और जनहित प्रभावित हुए। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान एनएफआरए द्वारा जारी किए गए प्रमुख आदेश निम्नानुसार हैंः

(क) कॉफ़ी डे समूह के मामले में जारी आदेश

कॉफ़ी डे समूह की एक सूचीबद्ध मूल कंपनी, कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सी डी ई एल), जो कॉफ़ी और आतिथ्य व्यवसाय में लगी हुई है, ने सी डी ई एल की सात सहायक कंपनियों से 3,535 करोड़ रुपये प्रोमोटर–स्वामित्व वाली इकाई मैसूर अमलगमेटेड कॉफ़ी एस्टेट लिमिटेड (एम ए सी ई एल) को हस्तांतरित कर दिए।

(i) वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सी डी ई एल के मामले में आदेश

सी डी ई एल की 2,226 करोड़ रुपये की धनराशि जटिल अंतर–समूह परिपत्र हस्तांतरणों के माध्यम से मैसूर अमलगमेटेड कॉफ़ी एस्टेट लिमिटेड (एम ए सी ई एल) को हस्तांतरित कर दी गई। ऋण चुकता दर्शाने के लिए बिना भुनाए गए चेक प्रविष्टियों का उपयोग करके एम ए सी ई एल से प्राप्त बकाया राशि को कम करके दिखाया गया था। प्रोमोटर–नियंत्रित इकाई को दिए गए 2,549 करोड़ रुपये के ऋणों को ऐसी प्रविष्टियों और निधि संचलन के माध्यम से सदाबहार बनाकर धोखाधड़ी से 1,706 करोड़ रुपये से घटाकर 849 करोड़ रुपये कर दिया गया।

आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

एनएफआरए की जाँच से पता चला कि लेखा परीक्षक ने ऐसे ऋणों के व्यावसायिक औचित्य और उनकी वसूली की संभावना का आकलन करने में घोर लापरवाही बरती। वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा राय जारी करने हेतु पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। सीडीईएल समूह का एमएसीईएल के प्रति जोखिम लेखा परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया था, लेकिन लेखा परीक्षकों ने न तो आवश्यक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया और न ही अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया। लेखा परीक्षक ने पेशेवर निर्णय और संदेह का प्रयोग नहीं किया। लेखा परीक्षक, सीडीईएल द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को प्रदान किए गए 1,055.73 करोड़ रुपये के ऋणों और 1,015 करोड़ रुपये की गारंटियों के अंतिम उपयोग का सत्यापन करने में विफल रहा, जैसा कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षक, सीडीईएल की सहायक कंपनी टैंगलिन डेवलपमेंट्स लिमिटेड द्वारा एमएसीईएल को दिए गए ऋण पर 75 करोड़ रुपये की ब्याज आय की पहचान करते समय धोखाधड़ी के जोखिम का आकलन करने में विफल रहा, जबकि एमएसीईएल ने संबंधित ब्याज व्यय को मान्यता नहीं दी थी। इसके परिणामस्वरूप, सीडीईएल ने 47.07 करोड़ रुपये की हानि के बजाय 27.93 करोड़ रुपये का लाभ गलत तरीके से दर्शाया।

फर्म की लेखा परीक्षा दस्तावेज़ीकरण प्रणाली लेखा परीक्षा मानक (एसए) 230 और गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1 का अनुपालन नहीं करती थी, क्योंकि लेखा परीक्षा कार्य पत्रों को हस्ताक्षर और लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने के बाद उचित प्राधिकरण के बिना संशोधित किया गया था, जो एसए 230 और एसक्यूसी 1 की आवश्यकताओं का उल्लंघन था।

(ii) वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए सीडीईएल के मामले में आदेश

कॉफी डे समूह में वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामले की जाँच की गई और लेखा परीक्षक को एक जाँच रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई, जिसमें धोखाधड़ी के कई संकेत दिए गए थे, जिनमें सीडीईएल की सहायक कंपनियों द्वारा एमएसीईएल को 3512 करोड़ रुपये के ऋण देने में व्यावसायिक औचित्य का अभाव, ऋणों का सदाबहार किया जाना, और धनराशि की हेराफेरी के लिए पूर्व—हस्ताक्षरित खाली चेकों का उपयोग शामिल था।

एनएफआरए ने पाया कि सीडीईएल के लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए सभी संकेतों को नजरअंदाज कर दिया और सहायक कंपनियों के बही—खातों और अभिलेखों तक पहुँचने से इनकार कर दिया। लेखा परीक्षकों ने एमएसीईएल से जुड़े 3,512 करोड़ रुपये से अधिक के संबंधित मानलों के कारण सीडीईएल के वित्तीय विवरणों पर एक अस्वीकरण जारी किया। हालाँकि, लेखा परीक्षक ने संकेतों को नजरअंदाज कर दिया और धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की, जिससे लेखा परीक्षा मानकों और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। लेखा परीक्षक ने यह सत्यापित नहीं किया कि सीडीईएल ने अपनी सहायक कंपनियों को ऋण और गारंटी में 1,941.46 करोड़ रुपये बढ़ाने से पहले आवश्यक विशेष संकल्प पारित किया था और क्या इस धनराशि का उपयोग उनकी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया गया।

(ख) वित्तीय वर्ष 2019—20, 2020—21 और 2021—22 के लिए ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड (बीजीएल) के मामले में आदेश

ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड (बीजीएल), एक सूचीबद्ध इकाई है जो डिजिटल विज्ञापन और मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत थी। बीजीएल और उसके लेखा परीक्षकों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी मिलने पर संभावित व्यावसायिक कदाचार की जाँच शुरू की गई। लेखा परीक्षकों से लेखा परीक्षा फ़ाइलें और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ उपलब्ध कराने को कहा गया। लेखा परीक्षकों ने एनएफआरए को अधूरी जानकारी प्रदान की। लेखा परीक्षक वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहे, घोर लापरवाही दिखाई गई और अपने व्यावसायिक आचरण में उचित परिश्रम का अभाव दिखाया। असहयोग के लिए कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई के कई अवसर दिए जाने के बावजूद, फर्म असहयोगी बनी रही। लेखा परीक्षक ने दस्तावेज़ प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत सुनवाई, दोनों से बचने के लिए एक झूठा हलफनामा भी प्रस्तुत किया।

आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

(ग) वित्तीय वर्ष 2015—16 के लिए डीबी रियल्टी लिमिटेड (डीबीआरएल) के मामले में आदेश

डीबीआरएल, एक सूचीबद्ध कंपनी है, जो रियल एस्टेट व्यवसाय के कार्य में लगी हुई है। एनएफआरए द्वारा डीबी रियल्टी लिमिटेड (डीबीआरएल) की जाँच में लेखा परीक्षक और सहभागिता गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षक (ईक्यूसीआर) द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में गंभीर खामियाँ पाई गईं। लेखा परीक्षक पेशेवर संदेह का प्रयोग करने, उचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ संचालित करने और संबंधित पक्षों के ऋणदाताओं को दी गई 3,894.43 करोड़ रुपये की गारंटियों और प्रतिभूतियों के संबंध में पर्याप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा। लेखा परीक्षा रिपोर्ट ने 1.92 लाख रुपये की एक महत्वहीन मद पर योग्य राय देकर वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं को गुमराह किया, जबकि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किए बिना 6,972 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दों को "विषय पर जोर" पैराग्राफ में रखा गया। लेखा परीक्षक 1,326.92 करोड़ रुपये (संबंधित पक्षों को दिए गए 1,079 करोड़ रुपये) के ऋणों और अग्रिमों और वित्तीय रूप से कमज़ोर संबंधित पक्षों में 2,456 करोड़ रुपये के निवेश का उचित मूल्यांकन करने में विफल रहा।

आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

(घ) वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए विकास डब्ल्यूएसपी लिमिटेड के मामले में आदेश

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए विकास डब्ल्यूएसपी लिमिटेड का वैधानिक लेखा परीक्षा करने वाली लेखा परीक्षा फर्म को लेखा परीक्षा मानकों (एसए), गुणवत्ता नियंत्रण मानकों (एसक्यूसी 1) और आचार संहिता का पालन करने में विफल रहने के लिए व्यावसायिक कदाचार का दोषी ठहराया गया। प्रमुख उल्लंघनों में एनपीए ऋणों पर ब्याज लागत की पहचान न करने, पर्याप्त लेखा परीक्षा दस्तावेज़ीकरण का अभाव, ईक्यूसीआर की नियुक्ति न करने और शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ संचार के प्रलेखित लेखा परीक्षा साक्ष्य की कमी के कारण वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत बयानों की रिपोर्ट करने में विफलता शामिल थी। फर्म ने गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया या उचित परिश्रम नहीं दिखाया।

आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

(च) वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए विकास प्रॉपेंट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड के मामले में आदेश

विकास प्रॉपेंट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड, एक सूचीबद्ध कंपनी है जो ग्रेनाइट ब्लॉकों के खनन और प्रॉपेंटस के निर्माण कार्य में लगी हुई थी। इस मामले में दो आदेश जारी किए गए थे, जिनका विवरण इस प्रकार हैः

वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए

लेखा परीक्षा विफलताओं में लेखा परीक्षा की योजना बनाने और इकाई व उसके परिवेश की प्रकृति को समझने में विफलता, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य का मूल्यांकन करने में विफलता, भौतिकता और निष्पादन भौतिकता निर्धारित करने में विफलता, अपेक्षित ऋण हानि के संबंध में प्रावधान न करने की रिपोर्ट करने में विफलता, संबंधित पक्ष के लेनदेन के लिए आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण का मूल्यांकन करने में विफलता, लीज होल्ड भूमि और संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्यह्रास का प्रभार न लेने की रिपोर्ट करने में विफलता, लेखा परीक्षा पूरी होने के 60 दिनों के भीतर लेखा परीक्षा फ़ाइल को एकत्रित करने में विफलता, पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में विफलता और सहभागिता गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षक (ईक्यूसीआर) की नियुक्ति निर्धारित करने में विफलता शामिल थी।

आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए

लेखा परीक्षा विफलताओं में अपेक्षित ऋण हानि के संबंध में प्रावधान न करने की रिपोर्ट करने में विफलता, संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए धारा 177 और 188 के अनुपालन के संबंध में आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण का मूल्यांकन करने में विफलता, लेखा परीक्षा की योजना बनाने और इकाई और उसके परिवेश की प्रकृति को समझने में विफलता, आरंभिक शेषों को सत्यापित करने में विफलता, भौतिकता और निष्पादन भौतिकता निर्धारित करने में विफलता, एक चालू इकाई के रूप में उसकी चलने क्षमता पर रिपोर्ट करने में विफलता, लीजहोल्ड भूमि और संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्यह्रास का प्रभार न लेने की रिपोर्ट करने में विफलता, लेखा परीक्षा पूरी होने के 60 दिनों के भीतर लेखा परीक्षा फ़ाइल को एकत्रित करने में विफलता, बाहरी पुष्टिकरणों के माध्यम से पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में विफलता, शासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ उचित रूप से संवाद करने में विफलता, सहभागिता गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षक (ईक्यूसीआर) की नियुक्ति में विफलता शामिल थी।

आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

(छ) वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए उषदेव इंटरनेशनल लिमिटेड (यूआईएल) के मामले में आदेश

यूआईएल मुख्य रूप से धातु व्यापार और पवन ऊर्जा उत्पादन के व्यवसाय में संलग्न थी। कंपनी कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही थी। लेखा परीक्षा विफलताओं में धोखाधड़ी के दृष्टिकोण से व्यापार प्राप्तियों और अग्रिमों के लिए प्रावधान में उल्लेखनीय वृद्धि का विश्लेषण करने और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(12) के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में लेखा परीक्षक की विफलता, सहयोगी सहायक कंपनियों और एक अन्य कंपनी, जिनकी समूह कंपनियों ने उनसे देय प्राप्तियों का भुगतान नहीं किया था, में यूआईएल के निवेश के मूल्यांकन की लेखा परीक्षा में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य (एसएएई) प्राप्त करने में विफलता, उचित लेखा परीक्षा दस्तावेजीकरण में विफलता, भारतीय लेखा मानक 16 के गैर–अनुपालन को इंगित करने में विफलता आदि शामिल हैं।

आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

(ज) वित्तीय वर्ष 2019–2020, 2020–21 और 2021–22 के लिए सीएमआई लिमिटेड के मामले में आदेश

सीएमआई लिमिटेड विद्युत तारों, केबलों और कंडक्टरों के डिजाइन और निर्माण का कार्य करती है। लेखा परीक्षक एनपीए पर ब्याज की गैर–मान्यता से संबंधित गलती की रिपोर्ट करने में विफल रहे, जिसमें ब्याज लागत, वर्तमान देनदारों और कंपनी के रिपोर्ट किए गए घाटे को कम करके दिखाया गया था। उन्होंने चालू व्यवसाय जोखिमों की अनदेखी की, जबकि सीएमआईएल का राजस्व वित्त वर्ष 2018–19 में ₹637.30 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2020–21 में ₹201.70 करोड़, कर पश्चात लाभ (पी ए टी) ₹45.08 करोड़ से (–) ₹194.60 करोड़ और निवल मूल्य ₹305.97 करोड़ से घटकर ₹117.12 करोड़ हो गया। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में भौतिकता, इन्वेंट्री, राजस्व और लेखा परीक्षा परिणाम जैसे क्षेत्रों में पर्याप्तता का अभाव था। वित्त वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 में क्रमशः ₹187.67 करोड़, ₹154.47 करोड़ और ₹36.67 करोड़ मूल्य की इन्वेंट्री का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया। ₹231.34 करोड़, ₹135.29 करोड़ और ₹110.64 करोड़ की व्यापारिक प्राप्तियों के लिए बाह्य पुष्टि भी प्राप्त नहीं की गई , साथ ही संचालन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के साथ सहभागिता गुणवत्ता नियंत्रण और संचार मानकों का पालन करने में भी विफलता पाई गई।

आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

(झ) वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सांवरिया कंज्यूमर लिमिटेड के मामले में आदेश

सांवरिया कंज्यूमर लिमिटेड चावल, सोया उत्पादों, तेलों और अन्य खाद्य पदार्थों के व्यापार और निर्माण कार्य में लगी हुई है।

लेखा परीक्षक ने इन्वेंट्री का सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप सोयाबीन के बीज का मूल्यांकन ₹18.93 करोड़ और धान का ₹13.30 करोड़ अधिक हो गया। उन्होंने घाटे में चल रही सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों में ₹38.42 करोड़ मूल्य के निवेश के स्वामित्व या हानि का आकलन नहीं किया। उनकी समेकन आवश्यकताओं के गैर–अनुपालन की रिपोर्ट करने में विफलता रही, और ₹57.86 करोड़ की असुरक्षित व्यापार प्राप्तियों के लिए अपर्याप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर पाए। उन्होंने ₹524.17 करोड़ के राजस्व का जोखिम मूल्यांकन नहीं किया गया, जिससे महत्वपूर्ण गलत बयान का जोखिम बढ़ गया। लेखा परीक्षा दस्तावेज अपर्याप्त थे, और आंतरिक नियंत्रण की कमियों के बारे में शासन के प्रभारी अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया था।

आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

(ट) वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के मामले में आदेश

रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) की लेखा परीक्षा में, लेखा परीक्षकों ने महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा कमियाँ प्रदर्शित कीं। वित्तीय वर्ष 2018–19 के समेकित वित्तीय विवरणों से पता चलता है कि आरसीएल ने लगभग ₹12,000 करोड़ के बैंक ऋण और लगभग ₹32,000 करोड़ के बाहरी उधार लिए थे, जिनका उपयोग समूह की कंपनियों में ऋण और निवेश के वित्तपोषण के लिए किया गया था। संयुक्त लेखा परीक्षक, जिन्होंने लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी किए बिना इस्तीफा दे दिया, ने कुछ संबंधित पक्षों को दिए गए लगभग ₹12,571 करोड़ के ऋण और निवेश से जुड़ी संदिग्ध धोखाधड़ी को चिह्नित किया। हालाँकि, वर्तमान लेखा परीक्षक इन गंभीर चिंताओं की स्वतंत्र रूप से सत्यापन करने में विफल रहे। स्व–समीक्षा पद्धतियों, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में "विषय पर बल" अनुच्छेद के अनुचित प्रयोग और ₹6,557 करोड़ के ऋणों की वसूली और ₹2,577 करोड़ के अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान के संबंध में प्रबंधन के दावों की अपर्याप्त जाँच ने उनकी कमियों को और बढ़ा दिया। परिणामस्वरूप, लेखा परीक्षा राय और वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता गंभीर रूप से कमज़ोर पड़ गई।

आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

(ठ) वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के मामले में आदेशः

रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के संबंध में, लेखा परीक्षा विफलताओं में पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक से परामर्श किए बिना नियुक्ति स्वीकार करना और फर्म की गुणवत्ता नियंत्रण नीतियों से हट जाना शामिल था। लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संशोधित करने के बजाय, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एक अनुचित "मामले पर जोर" को शामिल किया गया था, जो संदिग्ध धोखाधड़ी पर प्रबंधन के रुख को अनुचित रूप से व्यक्त करता था। इसके अलावा, लेखा परीक्षक ₹12,224 करोड़ के ऋणों पर ₹537 करोड़ के अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे और प्रबंधन के दावों पर पर्याप्त रूप से सवाल नहीं उठाए। लेखा परीक्षक ऋणों के अंतिम उपयोग, कंपनी से धन की हेराफेरी के संकेत, प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को दरकिनार करने और कंपनी द्वारा ऋण स्वीकृत करने और वितरित करने के व्यावसायिक औचित्य की पर्याप्त रूप से जाँच करने में भी विफल रहे। धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों के लेखा परीक्षक के आकलन में इनमें से कोई भी कारक पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं हुआ। व्यावसायिक संशयवाद और उचित परिश्रम में इन खामियों के कारण लेखा परीक्षा राय भ्रामक हो गई।

आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

(ड) वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में आदेश

रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड की 31 मार्च 2019 तक, कुल संपत्ति लगभग ₹18,100 करोड़ थी, जिसमें लगभग ₹6,300 करोड़ की बाहरी देनदारियाँ थीं, जिनमें से ₹4,800 करोड़ से अधिक डिबेंचर, बैंक उधार और वाणिज्यिक पत्रों से प्राप्त ऋण शामिल थे। लेखा परीक्षकों ने ऋण वितरण से जुड़े जोखिमों के मूल्यांकन में घोर लापरवाही बरती। पिछले लेखा परीक्षक के इस्तीफे और लगभग ₹7,900 करोड़ के ऋणों से जुड़ी धोखाधड़ी की कंपनियों के बावजूद, लेखा परीक्षक वित्तीय रूप से कमजोर इकाइयों को सामान्य प्रयोजन कॉर्पोरेट ऋण देने की कंपनी की प्रथा की जाँच करने में विफल रहे, जिसके कारण धन को अन्य समूह कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया। लेखा परीक्षा, चालू व्यवसाय की धारणा का कड़ाई से आकलन करने और अपेक्षित साख हानि (ईसीएल) को मान्य करने में भी विफल रही –जो ₹6,259 करोड़ के ऋणों पर लगभग ₹278 करोड़ दर्ज की गई, और लगभग ₹7,849 करोड़ के ऋण–क्षतिग्रस्त ऋणों पर केवल लगभग ₹173 करोड़ की ही मान्यता दी गई –जिससे अंततः लेखा परीक्षा राय की विश्वसनीयता पर आंच आई।

आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

(ढ) वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए ज़ी लिमिटेड के मामले में आदेश

वित्त वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान, ज़ी लिमिटेड में संबंधित पक्ष के लेनदेन के दायरे में महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा खामियाँ पाई गईं। लेखा परीक्षक समूह के अध्यक्ष और एक प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक के बीच एक महत्वपूर्ण लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहे। लेखा परीक्षक घोर लापरवाह थे, उनमें अपेक्षित संदेह और उचित परिश्रम का अभाव था, वे प्रबंधन के दावों को चुनौती देने या संदिग्ध धोखाधड़ी का आकलन करने में विफल रहे, जिसकी रिपोर्ट कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(12) के तहत की जानी थी, जिसका प्रमाण अनधिकृत गारंटी, समय से पहले सावधि जमा बंद करना और ज़ी लिमिटेड के धन का दुरुपयोग था।

आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

(त) वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए डीएचएफएल शाखा के लेखा परीक्षकों के मामले में आदेश

एनएफआरए की जाँच में डीएचएफएल शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई लेखा परीक्षा में गंभीर कमियाँ उजागर हुईं। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017–18 में अपनी नियुक्तियाँ बिना पर्याप्त कानूनी आधार के स्वीकार कर लीं और बाद में यह सुनिश्चित किए बिना कि वित्तीय विवरणों और संबंधित अभिलेखों की एक सक्षम टीम सदस्य द्वारा गहन जाँच की गई है, एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी कर दी। बुनियादी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में इस मूलभूत चूक ने लेखा परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता और आंतरिक नियंत्रण वातावरण की सुदृढ़ता पर गंभीर संदेह पैदा कर दिया।

आदेश पढ़ने के लिए स्कैन करें

2. फर्म – व्यापक लेखा परीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 के तहत एनएफआरए को सौंपे गए कार्यों के अनुरूप, लेखा परीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण नियामक के लिए अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने का एक प्रमुख साधन है। निरीक्षणों के लिए अधिदेश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 (2) और एनएफआरए नियम 2018 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त होता है। निरीक्षणों का समग्र उद्देश्य लेखा परीक्षा मानकों और अन्य नियामक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ लेखा परीक्षा फर्म/लेखा परीक्षक के अनुपालन का मूल्यांकन करना, और लेखा परीक्षा फर्म/लेखा परीक्षक की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है, जिसमें निम्न लिखित भी शामिल हैं:

(i) शासन ढाँचा और उसकी कार्यप्रणाली की उपयुक्तता

(ii) लेखा परीक्षा गुणवत्ता पर फर्म के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता

(iii) लेखा परीक्षा जोखिमों के आकलन और पहचान तथा निवारण उपायों की प्रणाली

एनएफआरए निरीक्षणों के अनुवर्ती के रूप में, भारत में लेखा परीक्षा फर्मों ने अपने लेखा परीक्षा ग्राहकों को गैर–लेखा परीक्षा सेवाएँ प्रदान करने संबंधी अपनी नीतियों को या तो अद्यतन किया है या अद्यतन करने का वचन दिया है। यह अधिकांश निरीक्षित बड़ी लेखा परीक्षा फर्मों द्वारा स्वतंत्रता आवश्यकताओं (जो लेखा परीक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रारंभिक बिंदु है) को पूरा करने से संबंधित बड़ी लेखा परीक्षा फर्मों की नीतियों में एक महत्वपूर्ण सुधार है।

सभी निरीक्षण रिपोर्ट पढ़ने के लिए स्कैन करें

31 मार्च 2025 को, एनएफआरए वेबसाइट (https://nfra.gov.in/document-category/inspection-reports/) पर 12 निरीक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी हैं।

सभी लेखा परीक्षा गुणवत्ता निरीक्षणों में, राजस्व पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, संबंधित पक्ष के लेनदेन और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान एनएफआरए द्वारा फर्म–व्यापी निरीक्षण निम्नानुसार रेखांकित किए गए हैं:

(क) मेसर्स प्राइस वाटरहाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपी और मेसर्स प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपीः

एनएफआरए ने मेसर्स प्राइस वाटरहाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपी और मेसर्स प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपी का लेखा परीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण किया। निरीक्षण में पीडब्ल्यूसीए द्वारा पूर्व में रिपोर्ट की गई कमियों को दूर करने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा शामिल थी। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तीन लेखा परीक्षा नियुक्तियों की जाँच की गई।

सुधारात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा के हिस्से के रूप में, पीडब्ल्यूसीए को किसी भी अस्पष्टता को दूर करने और भारत में वैधानिक ढाँचे के साथ अनजाने में होने वाले गैर–अनुपालन को रोकने के लिए स्पष्ट उपायों को शामिल करके अपनी स्वतंत्रता नीति नियमावली को अद्यतन करने की सलाह दी गई।

निरीक्षण में यह भी पता चला कि लेखा परीक्षा फर्म ने संबंधित पक्ष के लेनदेन का पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं किया और उसमें भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, असंबंधित पक्षों के साथ किए गए समान लेनदेन के साथ तुलनात्मक विश्लेषण को दर्शाने वाले पर्याप्त दस्तावेज बनाए रखने का अभाव था।

(ख) मेसर्स बीएसआर एंड कंपनी एलएलपीः

एनएफआरए ने मेसर्स बीएसआर एंड कंपनी एलएलपी के लेखा परीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण किए। निरीक्षण में बीएसआर द्वारा पूर्व में रिपोर्ट की गई कमियों को दूर करने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा शामिल थी। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दो लेखा परीक्षा कार्यों और 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक लेखा परीक्षा कार्य की जाँच की गई।

सुधारात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा के एक हिस्से के रूप में, बीएसआर को भारतीय कंपनियों की विदेशी सहायक कंपनियों को गैर–लेखा परीक्षा सेवाएँ प्रदान करने वाली केपीएमजी इकाइयों के संबंध में अधिनियम की धारा 144 का अनुपालन करने के लिए अपनी स्वतंत्रता नीति की समीक्षा करने की सलाह दी गई।

(ग) मैसर्स लोढ़ा एंड कंपनी एलएलपीः

एनएफआरए ने मैसर्स लोढ़ा एंड कंपनी एलएलपी के लेखा–परीक्षण गुणवत्ता निरीक्षण किए। निरीक्षण में फर्म की गुणवत्ता नियंत्रण नीति की समीक्षा और 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पाँच लेखा परीक्षा नियुक्तियों की जाँच शामिल थी।

समीक्षा के एक हिस्से के रूप में, फर्म को कार्मिक स्वतंत्रता घोषणाओं के लिए अपने प्रपत्रों और जाँच–सूची की समीक्षा करने की सलाह दी गई ताकि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अद्यतन परिभाषाएँ शामिल की जा सकें और सभी शाखाओं में समान प्रपत्रों और जाँच–सूची को लागू किया जा सके। उन्हें लेखा–परीक्षण दस्तावेज़ीकरण, परामर्श और निगरानी संबंधी अपनी नीति को सुदृढ़ करने की भी सलाह दी गई। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, क्लाउड स्टोरेज और नियुक्त टीम के सदस्यों के ईमेल फ़ोल्डरों में संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक डेटा की गोपनीयता संबंधी नीति की समीक्षा करने और उसे सुदृढ़ करने की भी सलाह दी गई।

समीक्षित लेखा–परीक्षा कार्यों में, सभी लेखा–परीक्षा क्षेत्रों में और चार लेखा–परीक्षा नियुक्तियों में कमियाँ पाई गईं।

(घ) डेलॉइट हास्किन्स एंड सेल्स एलएलपीः

एनएफआरए ने मेसर्स डेलॉइट हास्किन्स एंड सेल्स एलएलपी (डीएचएस) का लेखा–परीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण किया। निरीक्षण में डीएचएस द्वारा पूर्व में रिपोर्ट की गई कमियों को दूर करने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा शामिल थी। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तीन लेखा–परीक्षा कार्यों की जाँच की गई।

सुधारात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा के एक हिस्से के रूप में, एनएफआरए ने पाया कि लेखा–परीक्षा फर्म द्वारा स्वेच्छा से अपनाए गए गैर– लेखा–परीक्षा सेवा (एनएएस) दिशानिर्देशों में परिभाषित पीआईई की परिभाषा एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 3 से भिन्न है। लेखा–परीक्षा फर्म ने इसे नियमों के अनुरूप लाने के लिए अनुरोध किया।

निरीक्षण में आगे यह भी पता चला कि कुछ चुने हुए कामों में लेखा परीक्षा फर्म ने संबंधित पक्ष के लेनदेन के सत्यापन के लिए पर्याप्त उचित लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, जो कि आर्म्स लेंथ आधार पर था और एसए 620 की आवश्यकताओं के अनुसार, लेखा परीक्षक के विशेषज्ञ की योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता और कार्य का अपर्याप्त मूल्यांकन भी किया।

(च) मैसर्स वॉकर चंडियोक एंड कंपनी एलएलपी:

एनएफआरए ने मैसर्स वॉकर चंडियोक एंड कंपनी एलएलपी (डब्ल्यूसीसीएल) का लेखा–परीक्षण गुणवत्ता निरीक्षण किया। निरीक्षण में डब्ल्यूसीसीएल द्वारा पूर्व में रिपोर्ट की गई कमियों को दूर करने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की समीक्षा शामिल थी। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तीन लेखा–परीक्षा नियुक्तियों की जाँच की गई।

निरीक्षण में यह निष्कर्ष निकला कि डब्ल्यूसीसीएल द्वारा किसी भी स्पष्ट मान्यता के अभाव में कि जीटीआईएल की सभी नेटवर्क इकाइयाँ, जिनका वे हिस्सा हैं, स्वतंत्रता आवश्यकताओं के अनुपालन का निर्धारण करते समय, उन पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है, ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि डब्ल्यूसीसीएल कंपनी अधिनियम 2013, आचार संहिता और एसक्यूसी1 की स्वतंत्रता आवश्यकताओं का अनुपालन करती है। फर्म को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

निरीक्षण में आगे यह भी पता चला कि डब्ल्यूसीसीएल ने संबंधित पक्ष के लेनदेन और आईसीएफआर–राजस्व के लिए लेखा–परीक्षण प्रक्रियाओं का पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं किया। संबंधित पक्ष लेनदेन और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की घोषणा और ईक्यूसीआर के हस्ताक्षर के लिए फर्म का लेखा परीक्षा दस्तावेज भी अपर्याप्त था।

(छ) मैसर्स एमएसकेए एंड एसोसिएट्स:

एनएफआरए ने मैसर्स एमएसकेए एंड एसोसिएट्स के लेखा–परीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण किए। निरीक्षण में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एसक्यूसी 1 और पाँच लेखा–परीक्षा नियुक्तियों की समीक्षा शामिल थी।

निरीक्षण के परिणामस्वरूप, लेखा–परीक्षा फर्म ने यह सुचित किया कि उसकी नेटवर्क इकाइयाँ अपने लेखा–परीक्षा ग्राहकों को गैर– लेखा–परीक्षा सेवाएँ प्रदान नहीं करेंगी। इससे लेखा–परीक्षा की आत्मनिर्भरता और लेखा–परीक्षा गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, लेखा–परीक्षा फर्म ने फर्म के भीतर गुणवत्ता के लिए नेतृत्व की ज़िम्मेदारियों, ग्राहकों की स्वीकृति और निरंतरता, लेखा–परीक्षा कार्य पत्रों के रखरखाव, संबंधित पक्ष के लेनदेन, आईसीएफआर राजस्व और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के क्षेत्रों में अपनी गुणवत्ता नियंत्रण नीति/प्रक्रिया को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

(ज) मैसर्स एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी:

एनएफआरए ने मैसर्स एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी के लेखा परीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण किए। निरीक्षण में लेखा परीक्षा फर्म द्वारा पूर्व में रिपोर्ट की गई कमियों को दूर करने हेतु की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा शामिल थी। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तीन लेखा परीक्षा नियुक्तियों की जाँच की गई।

निरीक्षण के परिणामस्वरूप, लेखा परीक्षा फर्म ने यह निर्णय लिया कि उसकी नेटवर्क इकाइयाँ अपने लेखा परीक्षा ग्राहकों को गैर–लेखा परीक्षा सेवाएँ (कुछ अपवादों के अधीन) प्रदान नहीं करेंगी। इससे लेखा परीक्षक की आत्मनिर्भरता और लेखा परीक्षा गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा फर्म ने फर्म के भीतर गुणवत्ता के लिए नेतृत्व की ज़िम्मेदारियों, गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षा, लेखा परीक्षा कार्य पत्रों के रखरखाव, संबंधित पक्ष के लेनदेन और आईसीएफआर राजस्व के क्षेत्रों में अपनी गुणवत्ता नियंत्रण नीति/प्रक्रिया को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

3. परिपत्र और परामर्श

एक स्वतंत्र नियामक के रूप में, एनएफआरए की महत्वपूर्ण भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में से एक, कंपनियों और उनके लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित किए गए लेखांकन और लेखा परीक्षा कार्यों की प्रभावी निगरानी करके, सार्वजनिक हित और निवेशकों, ऋणदाताओं आदि के हितों की रक्षा करना है। अपनी विभिन्न निगरानी और जाँच संबंधी गतिविधियों के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि उन क्षेत्रों में कानून और मानकों के प्रावधानों को दोहराने के लिए परिपत्र जारी किए जाएँ जहाँ मानकों और/या कानूनों और नियमों का अनुपालन नहीं किया गया था। तदनुसार, ऐसे अनुपालन न करने की पुनरावृत्ति को रोकने और भारत में वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में प्रणालीगत सुधार लाने के उद्देश्य से, विभिन्न हितधारकों को सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए परिपत्र जारी किए गए।

वर्ष के दौरान, एनएफआरए ने 'समूह लेखापरीक्षाओं में प्रधान लेखापरीक्षक और अन्य लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्वों' के संबंध में दिनांक 03 अक्तूबर, 2024 को एक परिपत्र जारी किया: राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने निगरानी और अनुपालन लागू करने जैसे अपने कार्यों के निष्पादन के दौरान, समूह वित्तिय विवरण (विभिन्न कंपनियों से जुड़े समूह लेखापरीक्षा के मामले) की लेखा परीक्षाओं में घोर लापरवाही और लेखा परीक्षा विफलता देखी। उदाहरणों में रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड, दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, और आईएलएंडएफएस की लेखा परीक्षा गुणवत्ता समीक्षा शामिल हैं। एनएफआरए द्वारा निपटाए गए मामलों में, सहायक और सहयोगी कंपनियों के माध्यम से धन का डायवर्जन किया गया था। प्रधान लेखा परीक्षकों ने धोखाधड़ी, चालू व्यवसाय के मुद्दों और धन के डायवर्जन के संकेतों के बावजूद, सही समय पर चेतावनी नहीं दी, क्योंकि उन्होंने इन मुद्दों पर ध्यान न देने के लिए लेखा परीक्षा मानकों की भ्रामक व्याख्याओं पर भरोसा किया, और बजाय इसके कि पूरी तरह से सहभागी लेखा परीक्षकों की स्वच्छ लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर भरोसा किया जाता।

परिपत्र पढ़ने के लिए स्कैन करें

इनके संयुक्त प्रभाव से वित्तीय और पूंजी बाजार में हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिससे खुदरा निवेशकों और लेनदारों सहित निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसमें भारी सार्वजनिक हित शामिल है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 (2) (ख), (ग), (घ) के तहत एनएफआरए की शक्तियों के साथ नियम 4 (1), 4 (2) (च) और एनएफआरए नियम 2018 के नियम 3, 4 और 9 के साथ, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लेखा परीक्षकों के दायित्व और एसए 600 और संबंधित मानकों में मौजूदा आवश्यकताओं को इस परिपत्र में दोहराया गया था, ताकि लेखा परीक्षकों द्वारा एसए 600 के प्रावधानों की व्याख्या कंपनी अधिनियम 2013, गुणवत्ता नियंत्रण मानक और लेखा परीक्षा के अन्य लागू मानकों के तहत उनके दायित्वों के अनुरूप बनी रहे।

4. अधिसूचना हेतु अनुशंसित व्यावसायिक मानक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 की उपधारा 2(क) में प्रावधान है कि एनएफआरएए कंपनियों या कंपनियों के वर्ग या उनके लेखा परीक्षकों द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, अपना, जाने हेतु लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों और मानकों के निर्माण और निर्धारण पर केंद्र सरकार को सिफारिशें करेगा। वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने कुल 6 बैठकें कीं, जिनमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया और अधिसूचना हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को भेजे जाने हेतु प्रस्तावों के मसौदे तैयार किए गए।

एनएफआरए नियम 2018 के नियम 4(1) के अनुसार, एनएफआरए को जनहित और निवेशकों एवं ऋणदाताओं के हितों की रक्षा के लिए उच्च—गुणवत्ता वाले लेखा परीक्षा और लेखांकन मानक स्थापित करने होंगे। समकालीन वैश्विक सर्वोत्तम मानकों और प्रथाओं के अनुरूप उच्च—गुणवत्ता मानकों का अस्तित्व स्वतंत्र नियामकों की प्रभावी भूमिका के लिए अनिवार्य है।

कंपनियों के लिए लेखा परीक्षा मानकों पर एनएफआरए की कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को सिफ़ारिश

चालू वर्ष के दौरान, एनएफआरए ने उच्च—गुणवत्ता की लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के निर्माण पर ज़ोर दिया। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) में कंपनियों की लेखा परीक्षा के क्षेत्र में मानक—निर्धारण ढाँचे में एक व्यापक बदलाव की व्यवस्था की गई जिसके जरिए मानक—सेटिंग कानून का एक हिस्सा बन गया जिसमें प्राधिकरण द्वारा लेखा परीक्षा मानकों का मूल्यांकन और सिफ़ारिश भी शामिल है।

एनएफआरए ने अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएएसबी) द्वारा जारी प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और आश्वासन मानकों के संदर्भ में मौजूदा मानकों और ढांचे की व्यापक समीक्षा की। यह देखा गया कि लेखा परीक्षा के मौजूदा मानक (एसए) और लेखा परीक्षा के गुणवत्ता नियंत्रण पर अत्यधिक परस्पर संबंधित मानकों को आईएएएसबी के समकालीन लेखा परीक्षा और आश्वासन मानक ढांचे के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, प्राधिकरण ने लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा वैश्विक प्रथाओं के संदर्भ गुणवत्ता प्रबंधन मानकों की उचित समीक्षा की और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों को उपयुक्त रूप से शामिल किया। समूह लेखा परीक्षा पर लेखा परीक्षा मानक अर्थात एसए 600 में एक गंभीर कमी के संबंध में, प्राधिकरण ने संशोधित एसए 600 पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले संशोधित एसए 600 का मसौदा जारी करके, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशेवरों के महत्वपूर्ण मंचों सहित हितधारकों के साथ आउटरीच बैठकें करके सार्वजनिक परामर्श किया।

प्राधिकरण ने 15 मई, 2024, 26 अगस्त. 2024 और 11 एवं 12 नवम्बर, 2024 को आयोजित अपनी बैठकों में मानकों पर विचार—विमर्श किया। इन विचार—विमर्शों के आधार पर, प्राधिकरण ने 40 मानकों के एक सेट को अंतिम रूप दिया, जिसमें लेखा परीक्षा पर 35 मानक, विशिष्ट क्षेत्रों में लेखा परीक्षा पर 3 मानक और लेखा परीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन पर 2 मानक शामिल हैं। इसके बाद, दिसंबर 2024 में, प्राधिकरण ने धारा 143 (10) के तहत अधिसूचना पर विचार के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को 40 मानकों के एक सेट की सिफारिश की।

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) जो विश्व स्तर पर स्वीकृत उच्च—गुणवत्ता वाले आईएफआरएस लेखा मानकों के साथ मूल रूप से अभिसरित हैं, भारतीय कॉर्पोरेट्स को वैश्विक पूंजी आकर्षित करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए समान अवसर प्रदान करने में एक रणनीतिक भूमिका निभाते हैं। प्राधिकरण, कॉर्पोरेट्स के वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता और तुलनीयता में हिस्सेदारी रखने वाले निवेशकों और अन्य लेनदारों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण नियामक उपकरण के रूप में भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुपालन को भी मान्यता देता है। इस संदर्भ में, प्राधिकरण ने आईएफआरएस लेखा मानकों के साथ अभिसरित रहने के लिए आईसीएआई के प्रस्तावों का मूल्यांकन जारी रखा और 2024—25 के दौरान, आईसीएआई के निम्नलिखित दो प्रस्तावों पर विचार किया और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 में संशोधन करने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचना जारी करने हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को इनकी सिफारिश की।

- भारतीय लेखा मानक 12, आयकर – संशोधन 'अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार– स्तंभ दो मॉडल नियम'
- *भारतीय लेखा मानक 21, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव– संशोधन 'विनिमय क्षमता का अभाव'*

गैर–भारतीय लेखा मानक कंपनियों के लिए लेखांकन मानक

गैर–भारतीय लेखा मानक कंपनियों पर लागू लेखांकन मानकों को कंपनी (लेखा मानक) नियम 2021 जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के साथ पढ़ा जाए, के तहत निर्धारित किया गया हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान, प्राधिकरण ने भारतीय लेखा मानक (एएस) 12 की तरह भारतीय लेखा मानक (एएस) 22 आयकर लेखांकन में संशोधन करने के आईसीएआई के प्रस्ताव पर विचार किया और उसे स्वीकार भी किया ताकि प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार, जिसे स्तंभ दो मॉडल नियम कहा जाता है, के मामले का समाधान किया जा सके।

चित्र 1: वित्त वर्ष 2024–25 में एनएफआरए प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा

सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 की धारा 34 में संशोधन के परिणामस्वरूप, आईसीएआई की अनुशंसा के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एनएफआरए के परामर्श से लेखांकन और लेखा परीक्षा के मानक निर्धारित किए जा सकते है। एनएफआरए ने कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में एलएलपी के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा ढाँचे का अध्ययन किया। वर्ष 2024–25 के दौरान, प्राधिकरण ने आईसीएआई के प्रस्तावों का मूल्यांकन पूरा कर लिया और अपनी समीक्षा के परिणामों की अनुशंसा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को कर दी।

अध्याय – III

प्रमुख हितधारकों के साथ संवाद

लेखा परीक्षक वित्तीय रिपोर्टों में प्रस्तुत जानकारी को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। तैयार कर्ता वित्तीय रिपोर्टें तैयार करते हैं और उनमें दी गई जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार होते हैं। उपयोगकर्ता वित्तीय रिपोटिंग का मूल कारण हैं और इसलिए, इसके उद्देश्य के केंद्र में हैं। शिक्षाविद अपने शिक्षण और शोध में वित्तीय रिपोर्टों का उपयोग करते हैं। लेखा और लेखा परीक्षा नियमों के विकास और उनकी प्रभावी निगरानी एवं प्रवर्तन में लेखा परीक्षकों, तैयार कर्ताओं, उपयोगकर्ताओं और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

एनएफआरए के प्राथमिक हितधारकों में संसद, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, वित्तीय विवरण तैयार करने वाले, लेखा परीक्षक, वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता और शिक्षा जगत शामिल हैं। अन्य प्रमुख हितधारकों में सरकारी विभाग और मंत्रालय, साथ ही लेखांकन और लेखा परीक्षा गुणवत्ता के विषयों में विशेष रुचि रखने वाले संगठन और व्यक्ति जैसे एसएफआईओ, एसईबीआई, आरबीआई, आदि और मीडिया शामिल हैं।

1. उच्च–गुणवत्ता वाले वित्तीय रिपोटिंग ढाँचे के लिए एनएफआरए आउटरीच और वकालत

एनएफआरए को उच्च–गुणवत्ता वाले लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों की स्थापना करके और निर्धारित श्रेणी की कंपनियों (सार्वजनिक हित संस्थाओं–पीआईई) के वित्तीय विवरण तैयार करने वालों और लेखा परीक्षकों पर प्रभावी निगरानी रखकर सार्वजनिक हित और निवेशकों और लेनदारों के हितों की रक्षा करने का अधिदेश दिया गया है।

एनएफआरए संबंधित व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करने और लेखांकन एवं लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी विशेष रूप से बाध्य है। (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(2)(ग), नियम 4(2)(घ) तथा (च) और एनएफआरए नियम 2018 का नियम 16)।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अपने अधिदेश को प्रभावी और कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए, एनएफआरए ने भारत में उच्च–गुणवत्ता वाले वित्तीय रिपोटिंग ढाँचे को सुनिश्चित करने के लिए 'रक्षा की पाँच पंक्तियाँ' नामक एक मज़बूत मॉडल की वकालत की। इस मॉडल में निम्नलिखित आधारभूत संरचनाएँ शामिल हैं:

- ❖ रक्षा की पहली पंक्तिः प्रबंधन जिसमें मुख्य वित्तीय अधिकारी, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा शामिल हैं
- ❖ रक्षा की दूसरी पंक्तिः लेखा परीक्षा समिति और स्वतंत्र निदेशक
- ❖ रक्षा की तीसरी पंक्तिः बाहरी लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा व्यवसाय
- ❖ रक्षा की चौथी पंक्तिः निवेशक और शेयरधारक
- ❖ रक्षा की पाँचवीं पंक्तिः स्वतंत्र नियामक

एनएफआरए स्वतंत्र नियामकों (रक्षा की पाँचवीं पंक्ति) और अन्य रक्षा पंक्तियों के बीच प्रभावी और नियमित द्विपक्षीय वार्ता में विश्वास रखता है जो भारत में वित्तीय रिपोटिंग ढाँचे की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाने के लिए आवश्यक है।

2. उद्योग, स्वतंत्र निदेशकों और लेखा परीक्षा पेशेवरों के साथ संवाद

एनएफआरए ने स्वतंत्र नियामकों और लेखा परीक्षकों के बीच प्रभावी द्विपक्षीय संचार और वार्ता करने की अपनी पहल जारी रखी। तदनुसार, एनएफआरए ने हितधारकों द्वारा आयोजित सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज बैठकों जैसे सुस्थापित संवाद माध्यमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। अध्यक्ष, एनएफआरए ने भारत की विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा और महत्वपूर्ण प्रगति तथा कॉर्पोरेट्स द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से खुदरा निवेशकों, जो भारतीय पूंजी और वित्तीय बाजारों में निवेशकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग बन गए हैं, को प्रदान की जाने वाली वित्तीय जानकारी के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस प्रक्रिया में, एनएफआरए ने लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों, स्वतंत्र निदेशकों और लेखा परीक्षा एवं लेखा पेशे के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया।

वर्ष 2024–25 के दौरान, एनएफआरए ने व्यापक रूप से बातचीत की और विभिन्न हितधारकों के साथ निम्न लिखित रूप से जुड़ेः

(क) डॉ अजय भूषण पाण्डेय, अध्यक्ष, एनएफआरए ने 10 अप्रैल, 2024 को सीएफओ बोर्ड के साथ वित्तीय रिपोटिंग में रक्षा–रेखाओं पर बैठक में भाग लिया।

(ख) डॉ अजय भूषण पाण्डेय, अध्यक्ष, एनएफआरए ने 26 मई, 2024 को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की केंद्रीय परिषद की 431वीं बैठक में विशेष भाषण दिया।

(ग) डॉ अजय भूषण पाण्डेय, अध्यक्ष, एनएफआरए ने 31 मई, 2024 को 'प्रभावी लेखा परीक्षा समितिः शासन में सुधार' विषय पर आयोजित एसोचैम सम्मेलन में भाग लिया।

चित्र 2: डॉ अजय भूषण पाण्डेय अध्यक्ष, एनएफआरए एसोचैम सम्मेलन में 'प्रभावी लेखा परीक्षा समितिः शासन में सुधार' पर बैठक में भाग लेते हुए ।

(घ) डॉ अजय भूषण पाण्डेय अध्यक्ष, एनएफआरए और सुश्री विधु सूद, सचिव, एनएफआरए ने दिनांक 09 जुलाई, 2024 को मुंबई में आरबीआई द्वारा आयोजित वाणिज्यिक बैंकों और एआईएफआई के सांविधिक लेखा परीक्षकों और मुख्य वित्तीय अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लिया।

चित्र 3: डॉ. अजय भूषण पाण्डेय अध्यक्ष, एनएफआरए आरबीआई द्वारा आयोजित सांविधिक लेखा परीक्षकों और वाणिज्यिक बैंकों एवं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के मुख्य वित्तीय अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेते हुए।

(च) एनएफआरए ने दिनांक 30 अगस्त, 2024 को भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान में आयोजित स्वतंत्र निदेशक सम्मेलन में भाग लिया।

(छ) डॉ प्रवीन कुमार तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, एनएफआरए ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के कार्यात्मक निदेशकों के क्षमता निर्माण पर दो दिवसीय कार्यक्रमों में क्रमशः 2 और 3 सितंबर 2024 और 17 और 18 सितंबर 2024 को कोच्चि में "सीपीएसई में लेखा परीक्षा कार्यों की प्रभावशीलता में सुधार" और "लेखा परीक्षा समिति पर केंद्रित बोर्ड समितियों में सरकारी निदेशकों की भूमिका" पर व्याख्यान दिए, जो सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए थे।

चित्र 4: डॉ प्रवीन कुमार तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, एनएफआरए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के कार्यात्मक निदेशकों के क्षमता निर्माण पर कार्यक्रम में भाग लेते हुए ।

(ज) एनएफआरए ने एनएफआरए के परामर्श पत्र और संशोधित मानक एसए 600 पर अपने विचारों के लिए पेशेवरों और उद्योग तक पहुंच बनाई और दिनांक 04 अक्टूबर, 2024 को मुंबई में बीसीएएस (बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी) और दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 को बेंगलुरु में केएससीए, (कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन) के साथ संपर्क सत्र आयोजित किए।

चित्र 5: डॉ अजय भूषण पाण्डेय अध्यक्ष, एनएफआरए बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी और कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन को संबोधित करते हुए।

(झ) एनएफआरए और सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ) ने दिनांक 04 अक्टूबर, 2024 को स्वतंत्र निदेशकों और लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के साथ एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में अध्यक्ष, एनएफआरए, पूर्णकालिक सदस्य, एनएफआरए, सचिव एनएफआरए और एनएफआरए के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में एनएफआरए की भूमिका पर एक प्रस्तुति दी गई और प्रतिभागियों के साथ शेयर किए गए कुछ निश्चित आदेशों को पर प्रकाश डाला गया।

चित्र 6: स्वतंत्र निदेशकों और लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के साथ एनएफआरए – सीआईआई की कार्यशाला

(ट) एनएफआरए ने दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 को प्रस्तावित एसए 600 'संशोधित परिवर्तन, चुनौतियाँ और आगे की राह' पर एसोचैम वर्चुअल गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

(ठ) डॉ अजय भूषण पाण्डेय, अध्यक्ष, एनएफआरए को दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को लेखांकन और रिपोटिंग– नेविगेटिंग ग्लोबल स्टैन्डर्ड एण्ड बेस्ट प्रेक्टिस के बदलते परिदृश्य पर आयोजित एसोचैम राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था।

चित्र 7: डॉ अजय भूषण पाण्डेय अध्यक्ष, एनएफआरए, एसोचैम सम्मेलन में संबोधित करते हुए।

(ड) डॉ अजय भूषण पाण्डेय अध्यक्ष, एनएफआरए ने दिनांक 21 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली में फोरम ऑफ फर्म्स के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 'लेखा परीक्षा गुणवत्ता' में मुख्य भाषण दिया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में वित्तीय रिपोटिंग और लेखा परीक्षा प्रथाओं के सुसंगत और उच्च–गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देना है।

चित्र 8: डॉ अजय भूषण पाण्डेय अध्यक्ष, एनएफआरए, फोरम ऑफ फर्म्स के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेते हुए।

(ढ) सुश्री विधु सूद, सचिव, एनएफआरए ने दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी (बीसीएएस) द्वारा आयोजित वेबिनार श्रृंखला में 'एनएफआरए के आदेशों से प्रमुख सीख' पर उद्घाटन प्रस्तुति दी।

(त) डॉ प्रवीन कुमार, तिवारी पूर्णकालिक सदस्यए एनएफआरए ने दिनांक 17 दिसंबर, 2024 को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेमिनार में वित्तीय प्रशासन और विश्वास निर्माण पर मुख्य भाषण दिया।

(थ) डॉ अजय भूषण पाण्डेय, अध्यक्ष, एनएफआरए ने दिनांक 19 दिसंबर, 2024 को आयोजित 17वें आईएसबी लेखा अनुसंधान सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया।

चित्र 9: डॉ अजय भूषण पाण्डेय, अध्यक्ष, एनएफआरए आई एस बी लेखांकन अनुसंधान सम्मेलन में भाग लेते हुए।

(द) डॉ अजय भूषण पाण्डेय, अध्यक्ष, एनएफआरए को दिनांक 15 जनवरी, 2025 को दिल्ली में उद्योग मंच पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिसका विषय था "कॉर्पोरेट रणनीति में ईएसजी का एकीकरण", जो वर्तमान व्यापार और आर्थिक परिवेश का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

(ध) डॉ अजय भूषण पाण्डेय, अध्यक्ष, एनएफआरए ने दिनांक 31 जनवरी, 2025 से 02 फरवरी,2025 तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में आयोजित वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स (डब्ल्यूओएफए) 2025 में मुख्य भाषण दिया।

चित्र 10: डॉ अजय भूषण पाण्डेय अध्यक्ष, एनएफआरए, वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स (डब्ल्यूओएफए) 2025 सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए।

3. लेखा परीक्षा समिति–लेखा परीक्षक संपर्क सीरीज – स्टाफ सीरीज

एनएफआरए की प्रवर्तन, समीक्षा और निगरानी गतिविधियों के दौरान, लेखा परीक्षकों का शासन–प्रभारी निकायों (टीसीडब्ल्यूजी) (लेखा परीक्षा समितियों सहित) के साथ संवाद के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। एनएफआरए ने सांविधिक लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समितियों के बीच संचार के तरीकों और साधनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता, विशेष रूप से कंपनी अधिनियम 2013 (सीए 2013), लेखा परीक्षा पर दो प्रासंगिक मानकों (एसए 260 (आर) और 265), अन्य संबंधित लेखा परीक्षा मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी 1) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महसूस की ।

समग्र लेखा परीक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय सुझाने और लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों, लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों, लेखा परीक्षा गुणवत्ता के बारे में जागरूकता और महत्व को बढ़ावा देने के लिए एनएफआरए के दायित्वों के अनुसार, और सार्वजनिक हित और निवेशक संरक्षण की रक्षा के एनएफआरए के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2024–25 के दौरान एनएफआरए ने स्टाफ की एक श्रृंखला शुरू की, जो लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को भारत में उच्च गुणवत्ता वाले वित्तीय ढांचे को लागू करने के लिए उनके संचार और बातचीत की प्रभावशीलता को बढ़ाने के तरीके के बारे में मदद और मार्गदर्शन कर सकती है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, एनएफआरए ने इस सीरीज में निम्नलिखित दस्तावेज जारी किए।

- ❖ लेखा परीक्षक–लेखा समिति सहभागिता सीरीज 1 – लेखांकन अनुमानों और निर्णयों की लेखा परीक्षा भाग 1 – अपेक्षित ऋण हानियाँ – भारतीय लेखा मानक 109
- ❖ लेखा परीक्षक–लेखा समिति सहभागिता सीरीज 2 – लेखा परीक्षा रणनीति और लेखा परीक्षा योजना – भारतीय लेखा मानक 300 आदि।
- ❖ लेखा परीक्षक–लेखा समिति सहभागिता सीरीज 1 (भाग 2) – लेखांकन अनुमानों और निर्णयों की लेखा परीक्षा – आयकर – भारतीय लेखा मानक 12
- ❖ लेखा परीक्षा समिति–लेखा परीक्षक सहभागिता सीरीज 3, संबंधित पक्षों की लेखा परीक्षा से संबंधित – भारतीय लेखा मानक 24, भारतीय लेखा मानक 18 और भारतीय लेखा मानक 550 है।

4. भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा अकादमी (आईसीएलएसए), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम

अप्रैल 2024 और जनवरी 2025 के दौरान, भारत सरकार की भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा के 13वें और 14वें बैच के अधिकारियों के लिए व्यापक पाँच (5) दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य नए शामिल हुए आईसीएलएस अधिकारियों को एनएफआरए की भूमिका, जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली के बारे में समग्र जानकारी प्रदान करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना में निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गयाः–

- ❖ एनएफआरए की स्थापना का वैधानिक अधिदेश, उद्देश्य और लक्ष्य।
- ❖ स्वतंत्र लेखा परीक्षा और लेखा नियामकों का 21वीं सदी का युग – वैश्विक परिप्रेक्ष्यः स्वतंत्र लेखा परीक्षा नियामकों का अंतर्राष्ट्रीय मंच (आई एफ आई ए आर), अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में एनएफआरए समकक्ष समूह।
- ❖ कॉर्पोरेट प्रशासन में एनएफआरए की भूमिका ।
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लेखा और लेखा परीक्षा मानकों की समीक्षा और अनुशंसा की नीति और प्रक्रिया ।
- ❖ कंपनियों और लेखा परीक्षकों का एनएफआरए डेटाबेस ।
- ❖ लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए तकनीकें और उपकरण – लेखा परीक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट।
- ❖ लेखा मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए तकनीकें और उपकरण – वित्तीय रिपोटिंग गुणवत्ता रिपोर्ट।
- ❖ लागू मानकों के अनुपालन के लिए प्रवर्तन और अनुशासनात्मक तंत्र।

5. आई एस क्यू एम–1: जोखिम आधारित दृष्टिकोण : उच्च गुणवत्ता फर्मों के निर्माण पर एनएफआरए वेबिनार:

अपने वैधानिक अधिदेशों के अनुरूप, एनएफआरए ने हितधारकों की शिक्षा और जागरूकता के लिए आई एस क्यू एम–1: जोखिम आधारित दृष्टिकोण: उच्च गुणवत्ता फर्मों के निर्माण पर वेबिनार आयोजित किए।

एसक्यूसी–1 से आईएसक्यूएम–1 में परिवर्तन के साथ और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित अनुशंसाओं में भी लेखा परीक्षा फर्मों को जोखिम की पहचान, शमन और लेखा परीक्षा प्रथाओं में निरंतर सुधार पर केंद्रित एक सक्रिय गुणवत्ता प्रबंधन ढाँचा अपनाने की जरूरत है। लेखा परीक्षा गुणवत्ता को सुदृढ़ करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने की पहल के एक भाग के रूप में, दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 को "आईएसक्यूएम–1 का जोखिम–आधारित दृष्टिकोण: उच्च गुणवत्ता वाली लेखा परीक्षा फर्मों का निर्माण" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया।

वेबिनार में प्रमुख विशेषज्ञों ने भाग लिया और आई एस क्यू एम–1 के अंतर्गत नियामक अपेक्षाओं, कार्यान्वयन चुनौतियों और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने की रणनीतियों पर अपने विचार साझा किए। इसने प्रतिभागियों को इस मानक और भारत में लेखा परीक्षा फर्मों के लिए गुणवत्ता प्रबंधन की सुदृढ़ प्रणालियाँ स्थापित करने में इसकी भूमिका की स्पष्ट समझ प्रदान की। कार्यक्रम को व्यापक भागीदारी और प्रमुख संदेशों के प्रभावी प्रसार के साथ अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इसने लेखा परीक्षा पेशे में उन्नत मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया।

चित्र 11: आईएसक्यूएम.1 के जोखिम–आधारित दृष्टिकोण : उच्च गुणवत्ता वाली लेखा परीक्षा फर्मों का निर्माण पर एनएफआरए वेबिनार

6. एनएफआरए और आई आई सी ए निदेशकों द्वारा तैयार किया गया लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम:

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोटिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने भारतीय उद्योग के साथ मिलकर 2 जनवरी, 2025 को एनएफआरए कार्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आई आई सी ए) के साथ एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया और लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के लिए पहले 4 महीने के ऑनलाइन निदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. अजय भूषण पांडे, अध्यक्ष, एनएफआरए ने की। विशिष्ट उपस्थितियों में सुश्री स्मिता झिंगरन,

पूर्णकालिक सदस्य, एनएफआर, डॉ. प्रवीण तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, एनएफआरए, सुश्री विधु सूद, सचिव, एनएफआरए, व्यावसायिक बोर्ड के सदस्य श्री नवशीर मिर्ज़ा, श्री पुखराज टाक, कार्यकारी निदेशक, एनएफआरए और श्री विद्याधर कुलकर्णी, वरिष्ठ सलाहकार, एनएफआरए शामिल थे।

चित्र 12: लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के लिए आई सी ए एनएफआरए निदेशक प्रमाणन कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन चित्र

अध्यक्ष, एनएफआरए ने मुख्य भाषण देते हुए निवेशकों और हितधारकों के बीच विश्वास सुनिश्चित करने में कॉर्पोरेट प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने लेखा परीक्षा समितियों और लेखा परीक्षकों के महत्व को शासन की प्रभावशीलता में योगदान देने वाली प्रमुख संस्थाओं के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए भारत और विदेशों के विभिन्न मामलों का हवाला दिया और कंपनियों से अपने शासन और परिचालन तंत्र में सुरक्षा के पाँच स्तरों को अपनाने का आग्रह किया। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य सही और निष्पक्ष प्रकटीकरण सुनिश्चित करना है, जिससे खुदरा और संस्थागत निवेशकों के बीच विश्वास बढ़े।

इस पाठ्यक्रम को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 04 अक्टूबर, 2024 को 79 बोर्ड/ऑडिट समिति के अध्यक्ष/सदस्यों ने भाग लिया, जो देश भर की 50 से अधिक सूचीबद्ध और गैर–सूचीबद्ध कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते थे। यह कार्यक्रम एक सतत क्षमता निर्माण पहल है।

7. एनएफआरए–आईआईटी कानपुर का संयुक्त हैकथॉन

एनएफआरए और आईआईटी कानपुर ने संयुक्त रूप से दिनांक 28–29 मार्च, 2025 को आईआईटी कानपुर में एक हैकथॉन का आयोजन किया ताकि छात्रों को लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) और जनरेटिव एआई का उपयोग करके अत्याधुनिक समाधान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसका उद्देश्य जटिल वित्तीय विवरणों का लोकतांत्रिकरण प्रदर्शित करना था ताकि जनरेटिव एआई की क्षमता का लाभ उठाते हुए वित्तीय जानकारी अधिक पठनीय और समझने योग्य हो।

भारत के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों ने 28– 29 मार्च 2025 को कानपुर में आयोजित हैकथॉन में भाग लिया। चुनौती यह थी कि वित्तीय आंकड़ों को स्पष्ट और आकर्षक कहानियों में बदला जाए ताकि सुविचारित निर्णय लिए जा सकें। हैकथॉन ने जनरल एआई का लाभ उठाते हुए इस चुनौती का समाधान करने का प्रयास किया। टीमों ने वित्तीय विवरणों को सरल बनाने और गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए परिवर्तनकारी समाधानों का प्रयास किया।

हैकाथॉन ने शिक्षा जगत, छात्रों और नियामकों के बीच संवाद को सक्षम बनाया ताकि आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए हाथ मिलाया जा सके। समाधानों पर चर्चा की गई और छात्रों को निर्देशित किया गया कि वे अपने नवोन्मेषी सिद्धांतों को कैसे

आगे बढ़ा सकते हैं। हैकाथॉन में टीमों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों से पता चला कि जनरल एआई में जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाकर, डेटा निष्कर्षण को स्वचालित करके और व्यावहारिक निष्कर्ष तैयार करके वित्तीय विवरण विश्लेषण में क्रांति लाने की क्षमता है। जैसे–जैसे तकनीक विकसित होती जा रही है, हितधारक वित्तीय रिपोटिंग में बढ़ती हुई स्वीकार्यता की उम्मीद कर सकते हैं जिससे अधिक कुशल, सटीक और सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिलेगी। प्रतियोगिताओं में वी आई टी वेल्लोर, एमएनएनआईटी, इलाहाबाद, आईआईटी, लखनऊ और राजीव गांधी ज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नुजविद की टीमें विजेता रहीं। हैकाथॉन का मूल्यांकन आईआईटी कानपुर और एनएफआरए के विशेषज्ञों की एक संयुक्त टीम जिसका प्रतिनिधित्व श्री अरुण कुमार एएस, कार्यकारी निदेशक और श्री पुखराज टाक, कार्यकारी निदेशक द्वारा किया गया।

8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भागीदारी

(क) एनएफआरए ने दिनांक 16–18 अप्रैल, 2024 के दौरान ओसाका, जापान में आयोजित स्वतंत्र लेखा परीक्षा नियामकों के अंतर्राष्ट्रीय मंच (आईएफआईएआर) की पूर्ण बैठक में भाग लिया, जिससे सदस्यों को अन्य नियामकों, मानक निर्धारकों, वैश्विक लेखा परीक्षा फर्म नेतृत्व और अन्य लोगों के साथ लेखा परीक्षा गुणवत्ता और पर्यवेक्षण में विकास से संबंधित चर्चाओं में सीधे जुड़ने का एक अनूठा अवसर मिला। पूर्ण बैठक में ऐसे कई विषयों पर चर्चा हुई जो वर्तमान और भविष्य में लेखा परीक्षा नियामकों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनमें प्रौद्योगिकी/कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्थिरता आश्वासन पर प्रमुख सत्र शामिल थे। इस आयोजन में एनएफआरए की भागीदारी ने वैश्विक मंच पर इस क्षेत्र में हमारे देश की दृश्यता को बढ़ाया।

चित्र 13: डॉ अजय भूषण पाण्डेय, अध्यक्ष, एनएफआरए और सुश्री विधु सूद, सचिव, एनएफआरए ओसाका जापान में आयोजित आई एफ आई ए आर पूर्ण बैठक– 2024 में।

(ख) एनएफआरए ने अक्टूबर 2024 में वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में आयोजित पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड (पीसीएओबी) के अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा विनियमन संस्थानः "लेखा परीक्षा गुणवत्ता के मानक बढ़ाना" में भाग लिया। सुश्री स्मिता झिंगरन, पूर्णकालिक सदस्य एनएफआरए पीसीएओबी के 'प्रवर्तन' पैनल में पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुई। एनएफआरए ने प्रवर्तन के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा किए। इस आयोजन में श्री मेहुल बंसल, सहायक प्रबंधक, एनएफआरए ने भी भाग लिया।

चित्र 14: सुश्री स्मिता झिंगरन, पूर्णकालिक सदस्य, एनएफआरए अक्टूबर, 2024 में वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में आयोजित पीसीएओबी कार्यशाला में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

(ग) श्री मुकेश मौर्य, प्रबंधक, एनएफआरए और श्री रोहित अग्रवाल, प्रबंधक, एनएफआरए ने दिनांक 27 अगस्त, 2024 से 28 अगस्त 2024 तक कुआलालंपुर में सिक्योरिटीज कमीशन मलेशिया के लेखा परीक्षा ओवरसाइट बोर्ड द्वारा आयोजित 2024 आसियान ऑडिट रेगुलेटर्स ग्रुप ("एएआरजी") निरीक्षण कार्यशाला में भाग लिया, जिससे आसियान क्षेत्र के लेखा परीक्षा नियामकों के साथ लेखा परीक्षा ओवरसाइट में उभरते रुझानों, नियामक नवाचारों और सहयोगात्मक रणनीतियों पर विचार–विमर्श करने का अवसर मिला। कार्यशाला में निरीक्षण पद्धतियों, नैतिक चुनौतियों, डिजिटल व्यावसायिक लेखा परीक्षा और आईएसक्यूएम मानकों के कार्यान्वयन पर गहन सत्र आयोजित किए गए। एनएफआरए ने सत्र 1 में "निरीक्षण गतिविधियों में रोमांचक विकास और नवाचार" पर एक प्रस्तुति के साथ योगदान दिया, जिसमें इसके विकसित होते निरीक्षण ढांचे पर प्रकाश डाला गया और इसके हालिया निरीक्षण चक्रों से प्राप्त अंतर्दृष्टि साझा की गई।

चित्र 15: कुआलालंपुर, मलेशिया में अगस्त, 2024 को आयोजित एएआरजी निरीक्षण कार्यशाला में भाग लेते हुए एनएफआरए के अधिकारी।

(घ) एनएफआरए और पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड (पीसीओएबी), यूएसए के प्रतिनिधियों ने दिनांक 4–5 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में जांच और प्रवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक ज्ञान और अनुभव साझाकरण सत्र का आयोजन किया।

चित्र 16 : दिल्ली में सितम्बर, 2024 में आयोजित सत्र में एनएफआरए और पीसीएओबी के अधिकारी।

(च) स्वतंत्र लेखा परीक्षा नियामकों के अंतर्राष्ट्रीय मंच (आईएफआईएआर) के सदस्य के रूप में, एनएफआरए ने आईएफआईएआर के निरीक्षण कार्यशाला कार्य समूह ("आईडब्ल्यूडब्ल्यूजी") द्वारा दिनांक 5 से 7 मार्च, 2025 तक मॉरीशस में आयोजित निरीक्षण कार्यशाला में भाग लिया। इस वार्षिक कार्यशाला का उद्देश्य स्वतंत्र लेखा परीक्षा नियामकों आईएफआईएआर के सदस्य के बीच ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव साझा करना था। इस प्रमुख आयोजन ने एनएफआरए को वैश्विक समकक्षों के साथ जुड़ने और लेखा परीक्षा निगरानी के महत्वपूर्ण पहलुओं में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया। कार्यशाला के पाठ्यक्रम में जोखिम–आधारित निरीक्षण पद्धतियों पर व्यापक मॉड्यूल प्रस्तुत किए गए, आईएफआरएस 15 के तहत राजस्व लेखा परीक्षा चुनौतियों की जटिलताओं का समाधान किया गया और प्रभावी नियामक संवाद के लिए आवश्यक कौशल को बढ़ावा दिया गया। एनएफआरए के प्रतिनिधियों ने दुनिया भर के नियामकों के साथ चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और निरीक्षण रणनीतियों, लेखा परीक्षकों के प्रतिरोध से निपटने के प्रभावी तरीकों और सक्रिय गुणवत्ता निगरानी के सर्वोपरि महत्व पर विविध दृष्टिकोण एकत्र किए। श्री अरुण कुमार ए एस, कार्यकारी निदेशक, एनएफआरए भी एक तकनीकी सत्र में सह–प्रस्तुतकर्ता थे। श्री नीलेश, प्रबंधक और सुश्री नीलम अग्रवाल, प्रबंधक, एनएफआरए ने भी इस वैश्विक कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

चित्र 17: मॉरीशस में मार्च, 2025 आईएफआईएआर निरीक्षण कार्यशाला में भाग लेते हुए एनएफआरए के अधिकारी।

अध्याय – IV

संसाधन प्रबंधन

1. वित्त एवं बजट संबंधी जानकारी

31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एनएफआरए के लेखे (31 मार्च 2025 तक का तुलन पत्र 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए आय–व्यय विवरण और आवश्यकतानुसार अन्य विवरण एवं अनुसूचियाँ) केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के एकरूप प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए प्राधिकरण के वार्षिक लेखों को प्राधिकरण के कार्यकारी निकाय द्वारा अंतिम रूप दिया गया और अनुमोदित किया गया। अनुमोदित वार्षिक लेखों को प्रमाणन लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सी – ए जी) को भेज दिया गया।

एनएफआरए को दो वस्तु शीर्षों, अनुदान सहायता (वेतन) और अनुदान सहायक (सामान्य) के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, एनएफआरए को कुल ₹44.00 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान एनएफआरए द्वारा किया गया व्यय ₹44.00 करोड़ था। इस कुल व्यय में से, अनुदान सहायता (वेतन) से व्यय ₹15.50 करोड़ और अनुदान सहायता (सामान्य) से व्यय ₹28.50 करोड़ रहा।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत किए गए कुल व्यय का शीर्ष वार विवरण तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1: वित्तीय वर्ष 2024–25 में एनएफआरए द्वारा किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण ।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	व्यय
वेतन और भत्ते	15.50
भवन के लिए किराया दरें और कर	19.54
कार्यालय व्यय	3.30
पेशेवर सेवाएँ	4.10
यात्रा व्यय	0.83
विज्ञापन और प्रचार	0.05
मरम्मत और रखरखाव	0.16
अचल संपत्तियाँ	0.52
कुल	**44.00**

2. मानव संसाधन प्रबंधन

इसका समग्र अधिदेश एक ऐसा कार्य वातावरण तैयार करना है जो प्रशिक्षण, करियर विकास और कार्य निष्पादन प्रबंधन के क्षेत्र में उपयुक्त नीतियों के माध्यम से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमताओं की निरंतर पहचान, पोषण और उपयोग कर सके।

(क) जनशक्ति

एनएफआरए की स्वीकृत संख्या दिनांक 31 मार्च, 2025 को 69 थी। अधिकारी संवर्ग में स्वीकृत संख्या 53 में से दिनांक 31 मार्च, 2025 को अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या 32 थी।

(ख) भर्ती

संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति और परिणामी उपलब्धियों की दिशा में प्रभावी और कुशलतापूर्वक योगदान देने के लिए व्यक्तियों की जरूरी योग्यता को विशेष महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, गुणवत्तापूर्ण कर्मियों को प्रणाली में शामिल करने के लिए कठोर भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाती है और कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप समय–समय पर मानव संसाधनों के निरंतर विकास को अधिक महत्व दिया जाता है।

(i) **प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंधः** एनएफआरए में विभिन्न पदों के लिए दिनांक 18 जनवरी 2024 और 22 जनवरी 2024 के रिक्ति परिपत्रों के अनुसार चयन प्रक्रिया वित्त वर्ष 2024–25 में पूरी कर ली गई। वित्त वर्ष 2024–25 में, कुल 05 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर एनएफआरए में शामिल हुए और 03 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने पर एनएफआरए से कार्यमुक्त कर दिया गया। इसके अलावा, विभिन्न पदों के लिए रिक्ति परिपत्र 20 फरवरी 2025 को जारी किया गया है और इसके अनुसार चयन प्रक्रिया वित्त वर्ष 2025–26 में पूरी की जाएगी।

(ii) **युवा पेशेवर** – युवा पेशेवर (सीए/सीएमए) के लिए रिक्ति परिपत्र 17 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था और चयन प्रक्रिया मार्च 2025 में पूरी हुई।

(ग) प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास

आज की इस गतिशील दुनियां में, किसी भी संगठन के लिए नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है। तकनीकी विकास के साथ तालमेल बनाए रखना और अपने हितधारकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। उपयुक्त प्रशिक्षण से यह सुनिश्चित किया जाता है कि मानव संसाधन सर्वोच्च कार्य निष्पादन स्तर पर कार्य करें। यह कर्मचारियों को रचनात्मक, सृजनात्मक, कल्पनाशील, नवोन्मेषी, पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैंः

❖ अपने कर्मचारियों और संगठन के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक व्यावसायिक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को अद्यतन रखें और उसे बढ़ाएँ।

❖ व्यावसायिक आवश्यकताओं की बेहतर समझ को बढ़ावा दें और व्यावसायिक, सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दें।

❖ सही दृष्टिकोणात्मक अभिविन्यास लाएँ।

(i) **योग्यता और सतत व्यावसायिक शिक्षा पर एनएफआरए नीतिः** एनएफआरए की अपने कर्मचारियों के लिए योग्यता और सतत व्यावसायिक शिक्षा पर एक नीति है, जो आवश्यक प्रमाणपत्रों और परीक्षाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करती है जिन्हें कार्मिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा करना होगा कि वे लेखांकन और लेखा परीक्षा के नवीनतम मानकों और प्रथाओं से अद्यतन (अपडेट) हैं। इस नीति में प्रमाणन लागतों की प्रति पूर्ति के प्रावधान भी शामिल हैं और कर्मचारियों को अतिरिक्त घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ii) **मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर भूमिका–विशिष्ट पाठ्यक्रमों पर एनएफआरए की नीतिः** मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर भूमिका–विशिष्ट ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी), भारत सरकार के दिनांक 29 जनवरी 2025 के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप, एनएफआरए ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान अपने अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने की शर्तों के साथ दिनांक 27 फ़रवरी 2025 को एक परिपत्र जारी किया।

(iii) एनएफआरए कर्मचारियों के लिए "लेखा परीक्षा में ए आई की उभरती भूमिका" पर प्रशिक्षण सत्र दिनांक 26 मार्च 2025 को एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स (ए सी सी ए) के साथ आयोजित किया गया।

घ) लैंगिक संतुलन

लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए, एनएफआरए सभी कार्यक्रमों और परियोजनाओं में लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाने और लैंगिक–संवेदनशील कार्य वातावरण बनाने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता हैः

- ❖ कार्यक्रम और परियोजना गतिविधियों को डिज़ाइन करते समय, एनएफआरए उपयुक्त प्रतिभागियों को लक्षित करता है और दीर्घकालिक रणनीतिक लैंगिक हितों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ लैंगिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है।
- ❖ भर्ती, स्थानांतरण, पारिश्रमिक और पदोन्नति से संबंधित सभी रोजगार निर्णय बिना किसी लैंगिक भेदभाव के किए जाते हैं।
- ❖ एनएफआरए की लाभ नीति न्यायसंगत है और काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता के प्रति उत्तरदायी है।
- ❖ एनएफआरए एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में काम करता है जहाँ गैर–भेदभावपूर्ण कार्य संबंधों और कार्य एवं प्रबंधन शैलियों में विविधता के सम्मान को प्रोत्साहित किया जाता है।
- ❖ एनएफआरए ने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महिला कार्यबल को सम्मानित करने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए।

वर्ष 2024 में, एनएफआरए ने सचिव, एनएफआरए की अध्यक्षता में "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम" पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया। इस जागरूकता सत्र में सभी अधिकारियों, सलाहकारों, युवा पेशेवरों और संविदा कर्मचारियों ने भाग लिया। यौन उत्पीड़न की परिभाषाओं सहित अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या की गई। यह सत्र एक कार्यशाला के रूप में आयोजित किया गया था और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस मुद्दे पर कई उदाहरण प्रस्तुत किए गए ताकि इस मुद्दे और इसकी रोकथाम के बारे में अधिक जागरूकता लाने में मदद की जा सके। सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और अधिनियम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

चित्र 18 "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम" पर सत्र में एनएफआरए के अधिकारी

3. डेटा प्रबंधन और आईटी पहल

वर्ष के दौरान, एनएफआरए ने अपने नियामक अधिदेश का समर्थन करने के लिए अपने डेटा प्रबंधन और आईटी प्रणालियों को मजबूत किया। एनएफआरए ने सार्वजनिक हित की इकाइयों और उनके लेखा परीक्षकों, एमसीए 21, स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई और आईआरडीएआई जैसे कई स्रोतों का उपयोग करते हुए एक व्यापक मास्टर डेटाबेस विकसित करने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे।

रिपोर्टिंग अवधि 2022—23 और 2023—24 के लिए फॉर्म एनएफआरए—2 के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों की निगरानी की गई, और इसके साथ ही गैर—दाखिलकर्ताओं की एक सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की गई।

एनएफआरए ने उन्नत एंडपॉइंट सुरक्षा उपकरणों, यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजर, सुरक्षित वीपीएन एक्सेस, एसएसएल एन्क्रिप्शन और एनआईसी द्वारा ऑडिट की गई आवधिक साइबर सुरक्षा तैनाती के माध्यम से अपनी साइबर क्षमता को भी बढ़ाया है।

4. एनएफआरए द्वारा की गई अन्य मानव संसाधन गतिविधियाँ

(क) स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन: एनएफआरए ने 15 सितंबर से 02 अक्तूबर, 2024 तक स्वच्छ भारत मिशन—ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) पखवाड़ा मनाया। स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस)—2024 की थीम 'स्वभाव स्वच्छता' थी, जिसमें व्यापक स्वच्छता अभियान, गंदे और दुर्गम कचरा स्थलों को साफ करने और सफाई मित्रों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्वच्छता गतिविधियों की भावना स्वैच्छिकता/श्रमदान थी। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं:

- ❖ स्वच्छता शपथ और स्वच्छ डेस्क नीति
- ❖ एक पेड़ माँ के नाम — कार्यालय परिसर में वृझारोपण अभियान
- ❖ स्वच्छता के लिए स्वच्छता अभियान और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण— सार्वजनिक साइट पर
- ❖ सफाई मित्र सुरक्षा शिविर — चिकित्सा जाँच और परामर्श
- ❖ कीट नियंत्रण

चित्र 19: स्वच्छता अभियान 2024 के दौरान एनएफआरए के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान

(ख) एनएफआरए कार्यालय में राजभाषा (हिंदी) के प्रचार—प्रसार हेतु आयोजित गतिविधियाँ

(i) हिंदी कार्यशाला: एनएफआरए के कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987, 2007, 2011) और उससे संबंधित दिशा निर्देशों के अनुपालनों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए एनएफआरए में 16—17 अक्टूबर 2024, 27 दिसंबर 2024 और 28 मार्च 2025 को सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों के बारे में भी बहुमूल्य जानकारी प्रदान की गई।

(ii) हिंदी पखवाड़ाः हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिनांक 14 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान, कर्मचारियों के बीच सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 05 प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं संबंधी गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है :–

- ❖ हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता – 17 सितंबर, 2024
- ❖ हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता –18 सितंबर, 2024
- ❖ हिंदी अनुवाद – 19 सितंबर, 2024
- ❖ हिंदी वाद.विवाद प्रतियोगिता – 20 सितंबर, 2024
- ❖ हिंदी स्वरचित कविता प्रतियोगिता – 23 सितंबर, 2024

(iii) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 27 दिसंबर 2024 और 21 मार्च 2025 को सचिव, एनएफआरए की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

(iv) एनएफआरए ने जनवरी 2025 में, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दक्षिण दिल्ली–2 की सदस्यता ग्रहण की।

(ग) एनएफआरए में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजनः सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है । यह एक मजबूत और अखंड भारत के मूल्य को सुदृढ़ करके, हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने और मजबूत करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने का एक विशेष अवसर है। एनएफआरए के अधिकारियों/कर्मचारियों ने 31 अक्टूबर, 2024 को शपथ ग्रहण की।

(घ) एनएफआरए में संविधान दिवस का आयोजनः कॉन्स्टीट्यूशन डे, जिसे 'संविधान दिवस' के रूप में भी जाना जाता है, हमारे देश में इसे हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को, भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इस शुभ दिन को मनाने के लिए, एनएफआरए ने संविधान दिवस के समारोह का भी आयोजन किया और एनएफआरए के कर्मचारियों ने 26 नवंबर 2024 को संविधान को अपनाने की शपथ ली।

अध्याय – V

सतर्कता प्रबंधन

सतर्कता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सीवीसी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन कराने हेतु की जाने वाली गतिविधियाँः

संगठन में दक्षता, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) एनएफआरए में सतर्कता संबंधी सभी मामलों में मुख्य कार्यकारी के एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। सतर्कता शाखा के प्रमुख के रूप में, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) सतर्कता प्रोटोकर्लि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, एनएफआरए और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बीच एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

सीवीसी नियमावली के अनुसार, सीवीओ द्वारा किए जाने वाले सतर्कता कार्यों में अपने संगठन के कर्मचारियों द्वारा किए गए या किए जाने की संभावना वाले भ्रष्ट आचरणों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना; उनके समक्ष प्रस्तुत आरोपों की जाँच करना या जाँच करवाना; संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आगे विचार हेतु जाँच रिपोर्टों पर कार्रवाई करना; जब भी आवश्यक हो, मामलों को सलाह के लिए आयोग को भेजना; अनुचित आचरण और कदाचार को रोकने के लिए कदम उठाना आदि शामिल हैं।

इस प्रकार, मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यों को मोटे तौर पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैः–

- ❖ निवारक सतर्कता
- ❖ दंडात्मक सतर्कता
- ❖ निगरानी और पता लगाना।

सीवीसी नियमावली में कहा गया है कि कदाचार और अन्य खराब प्रथाओं के लिए 'दंडात्मक कार्रवाई' निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाने वाली 'निगरानी' और 'निवारक उपाय' भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे सतर्कता मामलों की घटनाओं में कमी आने की संभावना है। इस प्रकार मुख्य सतर्कता अधिकारी की भूमिका मुख्य रूप से निवारक होनी चाहिए।

तदनुसार, वर्ष के दौरान, निवारक सतर्कता पर निम्नलिखित गतिविधियाँ चलाई गईः

- ❖ संगठन में प्रचलित प्रक्रियाओं और प्रथाओं की समीक्षा की गई ताकि उन प्रक्रियाओं या प्रथाओं की पहचान की जा सके जो भ्रष्टाचार की गुंजाइश पैदा करती हैं और जिनमें संशोधन की आवश्यकता है।
- ❖ सत्यनिष्ठा से संबंधित आचरण नियमों का शीघ्र पालन सुनिश्चित किया, जिसमें (क) परिसंपत्तियों और अधिग्रहणों का विवरण (ख) अचल संपत्ति रिटर्न की जाँच शामिल है।
- ❖ (क) आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, (ख) सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (ग) सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की।
- ❖ अधिकारियों के निजी विदेशी दौरों की समीक्षा की गई और एक डेटाबेस बनाए रखा गया ।

सतर्कता जागरूकता अभियान 2024 के दौरान, 21 अक्टूबर 2024 को "सरकारी संगठनों में भ्रष्टाचार से निपटने में सतर्कता और नैतिकता की भूमिका" विषय पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। एनएफआरए के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के दौरान, एनएफआरए अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिनांक 28 अक्तूबर, 2024 को सत्यनिष्ठा की शपथ ली, जिससे पारदर्शिता और नैतिक शासन के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को बल मिला।

चित्र 20: श्री प्रवीण तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, एनएफआरए ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई।

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

7वीं–8वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस,
18–20, कस्तूरबा गांधी, नई दिल्ली – 110001